अध्याय–I

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय – 1

राज्य सरकार के वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय 2013 – 14 के दौरान हरियाणा सरकार के वित्त के विस्तृत परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के संबंध में मुख्य राजकोषीय योगों में अवलोकित परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की ***परिशिष्ट 1.2 भाग क*** में व्याख्या की गई है तथा वित्त लेखाओं का विन्यास ***परिशिष्ट 1.2 भाग ख*** में दर्शाया गया है। राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धतियां ***परिशिष्ट 1.3*** में दी गई हैं।

1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा 21 जिलों वाला कृषिक राज्य है जिसके आठ जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। राज्य राष्ट्रीय राजधानी के निकट स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र (44,212 वर्ग किलोमीटर) के संबंध में यह 20वां तथा जनसंख्या के संबंध में 17वां बड़ा राज्य है। राज्य की जनसंख्या एक दशक में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते 2001 में 2.11 करोड़ से बढ़कर 2011 में 2.54 करोड़ हो गई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 11.16 प्रतिशत अखिल भारतीय औसत से कम थी। वर्तमान मूल्यों पर 2013 – 14 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 3,83,911 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 76.64 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई ***(परिशिष्ट 1.1)***। राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग के अनुसार 2013 – 14 से राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,35,007 के विरूद्ध देश की औसत ₹ 74,380 है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

स.रा.घ.उ., दी गई समय अवधि में राज्य के भीतर उत्पादित अधिकारिक रूप से मान्यताप्राप्त अंतिम पदार्थों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर का महत्वपूर्ण सूचक है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के स.घ.उ. तथा हरियाणा के स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि में प्रवृत्तियां नीचे इंगित की गई हैं:

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भारत की स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	61,08,903	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	15.18	18.66	15.77	11.88	11.54
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	2,23,600	2,60,621	2,98,786	3,39,451	3,83,911
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	22.51	16.56	14.64	13.61	13.10

(स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा तथा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय)

1.1.1 राजकोषीय लेन–देनों का सार

पिछले वर्ष (2012–13) की तुलना में चालू वर्ष (2013–14) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन–देनों का सार नीचे दिया गया है।

तालिका 1.1: 2013 – 14 में राजकोषीय लेन–देनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2012 – 13	2013 – 14	संवितरण	2012 – 13	2013 – 14		
					गैर–योजनागत	योजनागत	कुल
भाग–क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	33,633.53	38,012.08	राजस्व व्यय	38,071.72	31,735.01	10,152.09	41,887.10
कर–राजस्व	23,559.00	25,566.60	सामान्य सेवाएं	11,896.75	13,505.73	91.58	13,597.31
कर–भिन्न राजस्व	4,673.15	4,975.06	सामाजिक सेवाएं	14,516.35	8,167.73	7,245.68	15,413.41
संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा	3,062.13	3,343.24	आर्थिक सेवाएं	11,556.73	9,925.37	2,814.83	12,740.20
भारत सरकार से अनुदान	2,339.25	4,127.18	सहायता अनुदान एवं अंशदान	101.89	136.18	–	136.18
भाग–ख: पूंजीगत तथा अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	10.81	9.89	पूंजीगत परिव्यय	5,761.84	–1,132.12	5,066.72	3,934.60
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	349.38	261.85	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	521.99	282.26	493.35	775.61
लोक ऋण प्राप्तियां	15,213.54	17,604.16	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	5,951.37			7,968.47
आकस्मिक निधि	–	–	आकस्मिक निधि	–			–
लोक लेखा प्राप्तियां	22,708.90	26,548.06	लोक लेखा संवितरण	21,073.88			24,560.19
आरंभिक नकद शेष	2,161.75	2,697.11	अंतिम नकद शेष	2,697.11			6,007.18
कुल	74,077.91	85,133.15	कुल	74,077.91			85,133.15

(स्रोत: सबधितं वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

परिशिष्ट 1.5 भाग–क चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण प्रदान करता है।

गत वर्ष से 2013–14 के दौरान राजकोषीय संपादनों में मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- कर राजस्व में ₹ 2,008 करोड़ (नौ प्रतिशत) तथा भारत सरकार (भा.स.) से संघीय करों एवं शुल्कों के हिस्से में ₹ 281 करोड़ (नौ प्रतिशत) की वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियां ₹ 4,379 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़ गई। भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 1,788 करोड़ (76 प्रतिशत) तथा कर–भिन्न राजस्व, 2012–13 से ₹ 302 करोड़ (छ: प्रतिशत) बढ़ गए। राज्य का अपना कर–राजस्व राजकोषीय सुधार पथ (रा.सु.प.) (₹ 28,099 करोड़) के अंतर्गत नियत लक्ष्यों, मध्यम–अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) (₹ 28,784 करोड़) विवरणी में किए गए प्रक्षेपण

तथा तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) (₹ 26,577 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य से क्रमशः 9.01 प्रतिशत, 11.18 प्रतिशत तथा 3.80 प्रतिशत तक कम पड़ गया। वर्ष 2013-14 का कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,975 करोड़) ते.वि.आ. (₹ 16,796 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य, रा.सु.प. में किए गए प्रक्षेपण (₹ 5,115 करोड़) तथा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 5,162 करोड़) से क्रमशः 70.38 प्रतिशत, 2.74 प्रतिशत तथा 3.62 प्रतिशत तक कम पड़ गया ***(परिशिष्ट 1.6)***।

- 'सामान्य सेवाओं' (₹ 1,701 करोड़), 'आर्थिक सेवाओं' (₹ 1,183 करोड़) तथा 'सामाजिक सेवाओं' (₹ 897 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय ₹ 3,815 करोड़ (10 प्रतिशत) बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.) (₹ 31,735 करोड़), ते.वि.आ. में मानकीय आकलन (₹ 22,138 करोड़) के विरूद्ध 43.35 प्रतिशत अधिक था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

- मुख्य शीर्ष ''4408-खाद्य भंडारण एवं भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत भारत सरकार से ₹ 1,144 करोड़ की प्राप्ति के कारण 'आर्थिक सेवाओं' पर व्यय में कमी के कारण पूंजीगत व्यय में ₹ 1,827 करोड़ (32 प्रतिशत) की कमी हुई।

- 2013-14 के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली ₹ 88 करोड़ (25 प्रतिशत) घट गई।

- निवल लोक लेखा प्राप्तियां 2012-13 में ₹ 1,635.02 करोड़ से 2013-14 में ₹ 1,987.87 करोड़ अधिक था।

- 2013-14 की समाप्ति पर ₹ 6,007 करोड़ का नकद शेष गत वर्ष की तुलना में ₹ 3,310 करोड़ अधिक था।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

हरियाणा में राजकोषीय सुधार पथ

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने तथा वित्तीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 6 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 लागू करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। भा.स. से समय-समय पर प्राप्त दिशानिदेशों के अनुसार रा.उ.ब.प्र. अधिनियम और संशोधित किया गया था। तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा लक्ष्य प्राप्त करने तथा उसे 2014-15 तक बनाए रखने, वित्तीय घाटे को 2010-11 से स.रा.घ.उ. को तीन प्रतिशत तक सीमित करने तथा उसे 2014-15 तक बनाए रखने और बकाया ऋण को स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में 2011-12 में 22.6 प्रतिशत, 2012-13 में 22.7 प्रतिशत तथा 2013-14 में 22.8 प्रतिशत तक रखने की सिफारिश की।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित बजट में प्रदान किए गए तथा राज्य के रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा लक्ष्यित प्रक्षेपण से मुख्य राजकोषीय वेरियेबलज **तालिका 1.2** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.2: प्रक्षेपणों से मुख्य राजकोषीय वेरियेबलज में भिन्नताएं

राजकोषीय वेरियेबलज	2013 – 14						
	रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना / म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविकों की भिन्नता प्रतिशतता		
					रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना / म.अ.रा.नी. के प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (–) / सरप्लस (+) (₹ करोड़ में)	शून्य	(–) 2,443	(–) 2,121 (राजस्व प्राप्तियों का 5.58 प्रतिशत)	(–) 3,875	–	(–) 1,432 (59 प्रतिशत)	(–) 1,754 (83 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा / स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	3	2.2	2.18	2.16	(–) 0.84	(–) 0.04	0.02
कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात (प्रतिशत में)	22.8	16.47	16.47	15.71	(–) 7.09	(–) 0.76	(–) 0.76

वर्ष 2013 – 14 का राजस्व घाटा (₹ 3,875 करोड़) बजट तथा म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपणों से अधिक था किंतु राजकोषीय घाटा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम तथा म.अ.रा.नी. के अंतर्गत निर्धारित प्रक्षेपणों के अंतर्गत था।

वर्ष 2013 – 14 में कुल बकाया उधार स.रा.घ.उ. का 15.71 प्रतिशत था जोकि रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में निर्धारित 22.8 प्रतिशत तथा बजट एवं म.अ.रा.नी.वि. लक्ष्य 16.47 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत था।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक

बजट दस्तावेज विशिष्ट वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमान प्रदान करते हैं। राजस्व एवं व्यय के अनुमान जहां तक संभव हो ठीक ढंग से बनाए जाने चाहिए ताकि विभिन्नताओं का विश्लेषण करके उचित कारणों का पता किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक **चार्ट** 1.1 में दिए गए हैं।

चार्ट: 1.1: चयनित राजकोषीय मानक: 2013 – 14 के वास्तविकों की तुलना में बजट अनुमान

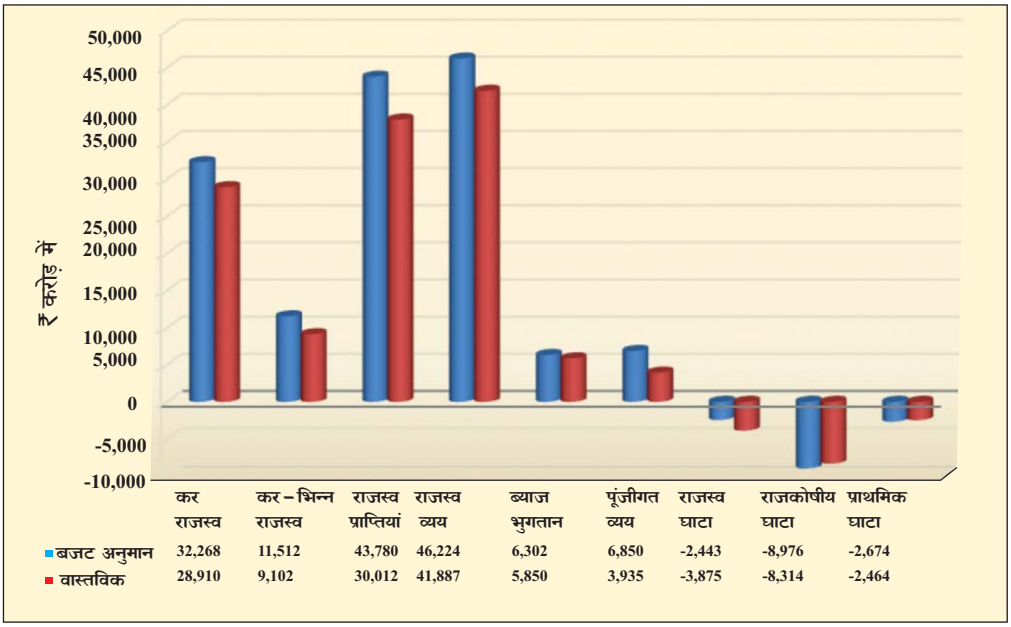

₹ 43,780 करोड़ की लक्ष्यित राजस्व प्राप्ति के विरूद्ध वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹ 38,012 करोड़ (87 प्रतिशत) थी। भा.स. से सहायतानुदान, ₹ 6,350 करोड़ के पूर्वानुमान के विरूद्ध केवल ₹ 4,127 करोड़ (65 प्रतिशत) प्राप्त होने के कारण ₹ 11,512 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरूद्ध कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत संग्रहण केवल ₹ 9,102 करोड़ (79 प्रतिशत) था। वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 41,887 करोड़) ₹ 46,224 करोड़ के बजट प्रावधान के अंतर्गत था। ब्याज भुगतान (₹ 5,850 करोड़) अनुमानित प्रक्षेपण (₹ 6,302 करोड़) के अंतर्गत रखे गए थे तथा मुख्य शीर्ष ''4408-खाद्य भंडारण एवं भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत भारत सरकार से ₹ 1,144 करोड़ की प्राप्ति के कारण ₹ 6,850 करोड़ के बजट अनुमान के विरूद्ध पूंजीगत व्यय ₹ 3,935 करोड़ था। राज्य सरकार अनुमानित राजस्व घाटा (₹ 2,443 करोड़) मेंटेन नहीं कर सकी क्योंकि यह ₹ 3,875 करोड़ तक बढ़ गया जबकि वित्तीय तथा प्राथमिक घाटे अनुमान के अंतर्गत थे।

1.1.4 जेंडर बजटिंग

राज्य सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए विशिष्ट रूप से कुछ स्कीमें शुरू की हैं। उनमें से कुछ **तालिका 1.3** में वर्णित हैं।

तालिका 1.3 : महिलाओं के लिए स्कीमें – 2013 – 14 के दौरान बजट अनुमान तथा किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	स्कीम	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1.	इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना	66.26	66.26
2.	लाडली-केवल एक लड़की/लड़कियों वाले परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम	13.49	13.49
3.	विधवा पेंशन	470.92	470.92
4.	आंगनवाड़ी वर्कज/हैल्परर्ज का बीमा	4.19	4.19
5.	अपनी बेटी अपना धन (लाडली)	50.22	50.22
6.	किशोर लड़कियों के लिए योजना	2.80	2.80
7.	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा-कक्षों की स्थापना	0.95	0.95
8.	निराश्रय औरतों तथा विधवाओं के लिए गृह-सह प्रशिक्षण	1.44	1.44
9.	महिला सहकारिता के लिए सहायता	0.70	0.70
10.	वृद्ध, विकलांग तथा परित्यक्त महिलाओं एवं विधवाओं को पेंशन	13.53	13.53
11.	किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम	12.39	12.39

(स्रोतः राज्य बजट 2013 – 14 तथा 2013 – 14 के विस्तृत विनियोजन लेखे)

1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वित्त लेखे 2013 – 14 के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों के दो स्ट्रीम हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का संघटन करते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों का राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार (भा.स.) से सहायतानुदान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश से प्राप्ति, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों

(बाजार ऋणों, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से उधार प्राप्तियां भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा से अर्जन शामिल होते हैं। **तालिका** 1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती हैं जैसा इसके वार्षिक वित्त लेखाओं में दर्ज किया गया है जबकि **चार्ट** 1.2 2009-14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है, **चार्ट** 1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।

निम्नलिखित गति सारणी संसाधनों के घटक तथा उप-घटक दर्शाती है

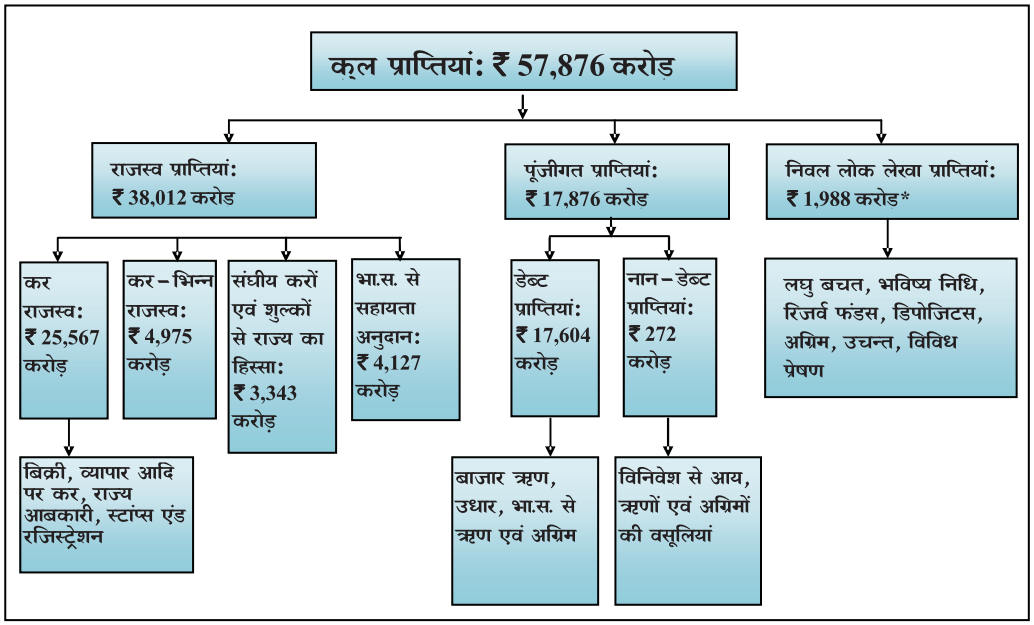

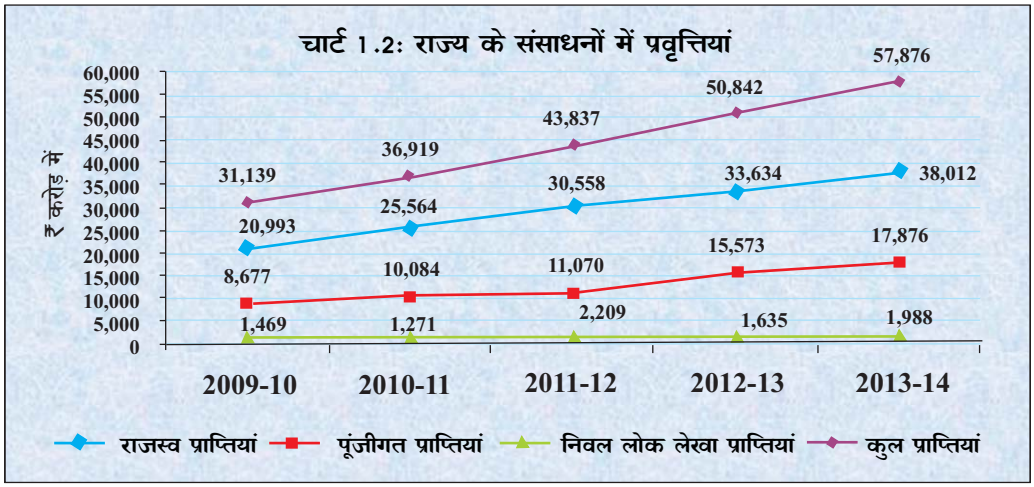

(स्रोतः सबधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

* निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 1,988 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 26,548 करोड़) घटा: लोक लेखा सवितरण (₹ 24,560 करोड़)।

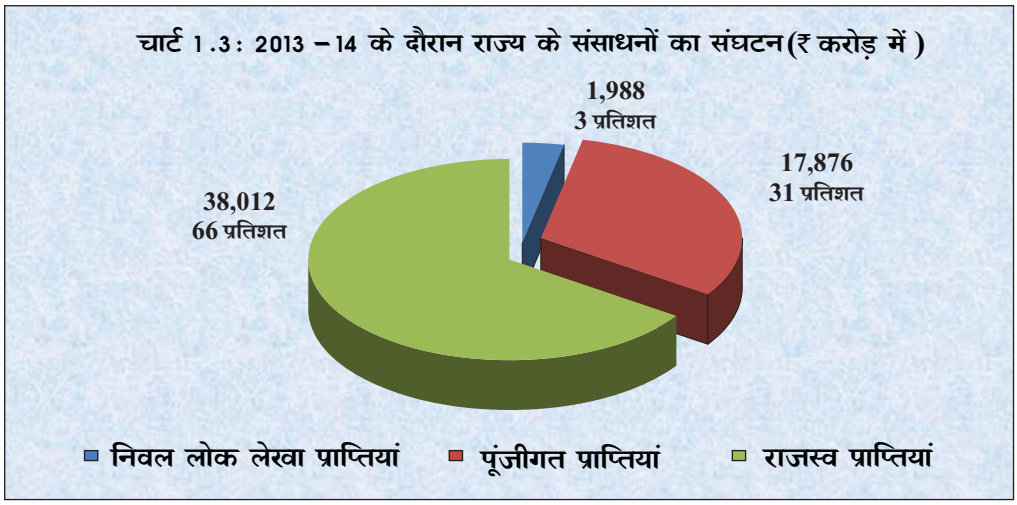

सरकार की कुल प्राप्तियां 2009 – 10 में ₹ 31,139 करोड़ से ₹ 26,737 करोड़ (86 प्रतिशत) तक बढ़कर 2013 – 14 में ₹ 57,876 करोड़ हो गई। इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियां ₹ 17,019 करोड़ (81 प्रतिशत) तक बढ़ गई, पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, ₹ 9,199 करोड़ (106 प्रतिशत) तक बढ़ गई और निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 519 करोड़ (35 प्रतिशत) तक बढ़ गई। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2009 – 10 तथा 2013 – 14 के दौरान 66 प्रतिशत ही रहा। इसी अवधि के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों का हिस्सा 5 प्रतिशत से कम होकर 3 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 28 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया।

1.2.2 राज्य बजट से बाहर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियां

भारत सरकार सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य के कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही निधियों का हस्तांतरण करती आ रही है। लेखा – महानियंत्रक के केन्द्रीय प्लान स्कीम मानीटरिंग सिस्टम (कें.प्ला.स्की.मा.प्र.) पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार 2013 – 14 के दौरान भारत सरकार ने राज्य में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 3,220.41 करोड़ सीधे ट्रांसफर कर दिए। इसमें से, ₹ 912.34 करोड़[1] राज्य में भारत सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किए गए। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई राशि ₹ 2,308.06 करोड़ थी जिसमें से ₹ 2,180.68 करोड़ की राशि राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को 27 कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए ट्रांसफर की गई जिनमें प्रत्येक मामले में जारी राशि ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक थी तथा ₹ 127.38 करोड़ विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किए गए जिनमें प्रत्येक मामले में जारी राशि ₹ 10 करोड़ से कम थी (विवरण **तालिका 1.4** के अनुसार)।

[1] 1. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव: ₹ 12.64 करोड़, 2. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम: ₹ 32.55 करोड़, 3. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव: ₹ 202.77 करोड; 4. एन.एच.पी.सी. लिमिटेड: ₹ 628.01 करोड़, 5. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव: ₹ 21.37 करोड़ तथा 6. एन.आई.टी. कुरूक्षेत्र: ₹ 15 करोड़।

तालिका 1.4: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ट्रांसफर की गई निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी	केंद्र का हिस्सा	
			2012-13	2013-14
1.	स्वर्ण ज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना	पंजीकृत सोसायटियां	24.52	10.61
2.	होटल मैनेजमैंट इंस्टीच्यूट, फूड क्राफ्ट इंस्टीच्यूट इत्यादि को सहायता	फूड क्राफ्ट इंस्टीच्यूट, फरीदाबाद तथा स्टेट इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, यमुनानगर	6.00	10.19
3.	आटोनॉमस आर. एंड डी. इंस्टीच्यूशन	पंजीकृत सोसायटियां, सांविधिक निकाय	79.39	79.30
4.	बॉयोटेक सुविधाएं	पंजीकृत सोसायटियां, सांविधिक निकाय तथा स्थानीय निकाय	2.57	24.06
5.	केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	राज्य स्वच्छता अभियान हरियाणा	--	131.18
6.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (जि.ग्रा.वि.ए.)	12.51	12.42
7.	ग्रांड चैलेंज प्रोग्राम	ट्रांसलेशन हैल्थ साईंस एंड टेक्नोलॅजी इंस्टीच्यूट तथा रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलोजी	1.45	10.41
8.	मानव संसाधन विकास (आई.एस.डी.एस.)	एपेरेल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, मॉयलामा एक्सपोर्ट लिमिटेड, टेक्नोपार्क एडवाइजर प्राईवेट लिमिटेड	32.88	40.85
9.	संघटित वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम (सं.वा.मै.प्रो.)	स्टेट लेवल नोडल एजेंसी, हरियाणा	9.63	15.96
10.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी	मनरेगा	349.36	376.88
11.	मार्केट एक्सेस इनिशियेटिव	एपेरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	11.78	13.00
12.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (सां.स्था.क्षे.वि.स्की.)	उपायुक्त	75.00	77.50
13.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण प्रोग्राम - III	हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियां	16.13	15.14
14.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान	हरियाणा कृषि विकास एजेंसी, निदेशालय गेहूं अनुसंधान	46.96	42.37
15.	राष्ट्रीय बागवानी अभियान	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुड़गांव, हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी	90.88	163.43
16.	राष्ट्रीय माइक्रो सिंचाई अभियान	राज्य माइक्रो सिंचाई कमेटी	30.00	33.00
17.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्लान	हरियाणा जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	28.54	10.00
18.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम	राज्य जल तथा स्वच्छता अभियान, हरियाणा	313.41	229.52
19.	केंदीय प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, हरियाणा	192.61	229.16
20.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद्	94.08	72.04
21.	बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान एवं विकास विभाग	पंजीकृत सोसायटियां, सांविधिक निकाय, राज्य सरकार पी.एस.यूज, सरकारी स्वायत्त निकाय, सरकारी संस्थाएं	12.28	20.02
22.	ग्रामीण आवास इंदिरा आवास योजना	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	63.58	98.31
23.	सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.)	हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद्	338.10	350.88
24.	निदेशालय फोरेंसिक साईंस के लिए स्कीम (सी.एफ.एस.एल.एस.)	हरियाणा पुलिस आवास निगम	--	21.32
25.	पौधारोपण तथा वन प्रबंध	राज्य वन विकास एजेंसी हरियाणा	6.41	17.94
26.	6000 माडल स्कूलों की स्थापना हेतु स्कीम	हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद्	5.60	62.18
27.	आर.एस.बी.वाई. सहित असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	ई.एस.आई. हैल्थ केयर सोसायटी, हरियाणा	--	13.01
28.	₹ 10 करोड़ से कम रिलीज वाली अन्य स्कीमें		173.77	127.38
	कुल		**2,017.84**	**2,308.06**

(स्रोतः केंद्रीय प्लान स्कीम मॉनीटरिंग प्रणाली (कें.प्ला.स्की.मा.प्र.) सी.जी.ए. के पोर्टल से ली गई सूचना)

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन पर, यह देखा जा सकता है कि 2012-13 के विरूद्ध 2013-14 के दौरान राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे जारी की गई निधियां ₹ 290.22 करोड़ तक बढ़ गई। वृद्धि मुख्यतः केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमः ₹ 131.18 करोड़, राष्ट्रीय बागवानी अभियानः ₹ 72.55 करोड़, मॉडल स्कूलों के संस्थापन की स्कीमः ₹ 56.58 करोड़ तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियानः ₹ 36.55 करोड़ के अंतर्गत थी।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखाओं की **विवरणी** 11 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देती है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल होते हैं। 2009-14 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को ***परिशिष्ट 1.4*** में प्रस्तुत किया गया है तथा **चार्ट** 1.4 में भी दर्शाया गया है।

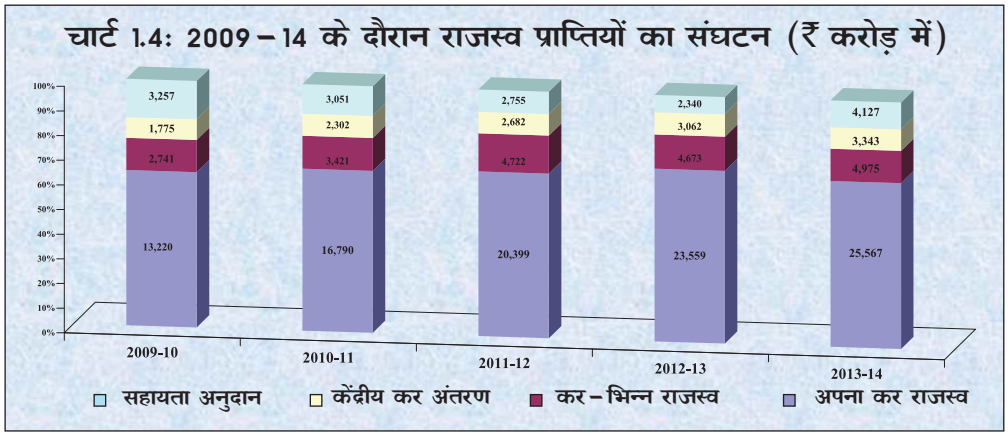

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2009 - 10 से 2013 - 14 तक की अवधि के दौरान 81 प्रतिशत तक बढ़ गई। इसी अवधि के दौरान राज्य का अपना कर राजस्व 91 प्रतिशत तक, भा.स. से सहायता अनुदान 27 प्रतिशत तक तथा केन्द्रीय कर अंतरश 88 प्रतिशत तक बढ़ गए। कुल राजस्व में राज्य के अपने राजस्व (कर राजस्व और कर - भिन्न राजस्व) का हिस्सा 2009 - 10 में 76 प्रतिशत से 2013 - 14 में 80 प्रतिशत तक बढ़ गया। भा.स. से सहायता अनुदान का हिस्सा 2009 - 10 में 16 प्रतिशत से 2013 - 14 में 11 प्रतिशत तक कम हो गया।

2004 - 05 से 2012 - 13 के दौरान 14.80 प्रतिशत तक राजस्व प्राप्तियों की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (16.93 प्रतिशत) से कम थी। 2004 - 05 से 2013 - 14 की अवधि हेतु यह वृद्धि दर 14.59 प्रतिशत ***(परिशिष्ट 1.1)*** थी। स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां **तालिका** 1.5 में दर्शाई गई हैं:

तालिका 1.5: स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	**20,993**	**25,564**	**30,558**	**33,634**	**38,012**
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.77	21.77	19.54	10.07	13.02
आर.आर./स.रा.घ.उ.(प्रतिशत)	9.39	9.81	10.23	9.91	9.90
उत्पलावकता अनुपात					
स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व उत्पलावकता	0.753	1.315	1.334	0.740	0.994
स.रा.घ.उ. के संबंध में राज्य की स्वयं की कर उत्पलावकता	0.597	1.631	1.468	1.138	0.651
राज्यों के स्वयं के करों के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता	1.676	0.613	0.681	0.879	1.537
राज्य के स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	2,23,600	2,60,621	2,98,786	3,39,451	3,83,911
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	22.51	16.56	14.64	13.61	13.10

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, जो 2009-10 में 13.77 प्रतिशत थी 2010-11 में 21.77 प्रतिशत तक बढ़ गई परन्तु उसके बाद 2013-14 में 13.02 प्रतिशत तक घट गई। अपने कर-राजस्व के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता 2009-10 में 1.676 से 2013-14 में 1.537 तक घट गई।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन इसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से संयुक्त संसाधन के संदर्भ में किया जाता है।

ते.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी. द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2013-14 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां **तालिका 1.6** में दी गई हैं।

तालिका 1.6: ते.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी. द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	ते.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नि. प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					ते.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी. प्रक्षेपण
कर-राजस्व	26,577	28,784	28,784	25,567	(-) 3.80	(-) 11.18	(-) 11.18
कर-भिन्न राजस्व	16,796	5,162	5,162	4,975	(-) 70.38	(-) 3.62	(-) 3.62

राज्य के अपने कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण ते.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 3.80 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों तथा म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपणों से 11.18 प्रतिशत तक कम रहा। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ते.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 70.30 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों एवं म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 3.62 प्रतिशत तक कम रही।

1.3.1.1 कर राजस्व

प्रमुख करों एवं शुल्कों के संबंध में कुल संग्रहण **तालिका 1.7** में दिए गए हैं जो 2009-14 के दौरान राज्य के अपने कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.7: राज्य के अपने स्रोतों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	9,032.33(11)	11,082.01(23)	13,383.69(21)	15,376.58(15)	16,774.33(9)
राज्य उत्पाद शुल्क	2,059.02(45)	2,365.81(15)	2,831.89(20)	3,236.48(14)	3,697.35(14)
वाहनों पर कर	277.07(16)	457.36(65)	740.15(62)	887.30(20)	1,094.86(23)
स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फीस	1,293.56(-2)	2,319.28(79)	2,793.00(20)	3,326.25(19)	3,202.48(-4)
भू-राजस्व	9.45(10)	10.02(6)	10.95(9)	12.98(19)	12.42(-4)
माल तथा यात्रियों पर कर	391.45(6)	387.14(-1)	429.32(11)	470.76(10)	497.45(6)
अन्य कर[2]	156.70(14)	168.75(3)	210.46(31)	248.67(18)	287.71(16)
कुल	**13,219.58(13)**	**16,790.37(27)**	**20,399.46(22)**	**23,559.02(15)**	**25,566.60(9)**

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[2] अन्य करों में, कृषि भूमि के सिवाए अन्य अचल संपत्ति पर कर, विद्युत तथा कृषि आय पर कर एवं शुल्क शामिल है।

2009-14 के दौरान कर राजस्व ₹ 12,347 करोड़ (93 प्रतिशत) तक बढ़ गया। 2013-14 के दौरान स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण तथा भू-राजस्व में कमी को छोड़कर सभी प्रमुख करों एवं शुल्कों ने कर राजस्व में वृद्धि दर्ज की। बिक्री कर, राज्य आबकारी तथा वाहनों पर करों में प्रमुख वृद्धि थी।

2004-05 से 2012-13 के दौरान 15.50 प्रतिशत पर कर राजस्व की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (16.42 प्रतिशत) से कम थी। 2004-05 से 2013-14 की अवधि हेतु यह वृद्धि दर 14.69 प्रतिशत थी ***(परिशिष्ट 1.1)***। राज्य का अपना कर राजस्व सरकार द्वारा अपने राजकोषीय सुधार पथ (रा.सु.प.) (28,099 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों तथा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 28,784 करोड़) में प्रक्षेपण से कम था।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

पांच वर्षों (2009-14) के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि **तालिका 1.8** में दी गई है जोकि 2009-14 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.8: 2009-14 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ब्याज प्राप्तियां	667.88(-14)	689.34(3)	864.96(25)	1,058.21(22)	1,090.71(3)
डिविडेंड तथा लाभ	9.60(16)	2.48(-74)	1.64(-34)	7.05(330)	6.49(-8)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	2,063.91(-16)	2,729.11(32)	3,855.05(41)	3,607.89(-6)	3,877.86(7)
ए) बृहद् तथा मध्यम सिंचाई	219	202	583	139	95
बी) सड़क परिवहन	700	762	853	1,000	1,098
सी) शहरी विकास	134	975	1039	991	1,105
डी) शिक्षा	285	270	296	385	319
ई) अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	247	83	76	76	79
कुल	**2,741.39(-15)**	**3,420.93(25)**	**4,721.65(38)**	**4,673.15(-1)**	**4,975.06(6)**

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2009-14 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ₹ 2,234 करोड़ (82 प्रतिशत) बढ़ गई। कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,975 करोड) ने गत वर्ष पर ₹ 302 करोड़ (6.46 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए 2013-14 के दौरान कुल प्राप्ति का 13 प्रतिशत संघटित किया।

1.3.2 भारत सरकार से सहायतानुदान

भारत सरकार से सहायतानुदान पिछले वर्ष से 2013-14 में ₹ 1,787 करोड़ बढ़ गए जैसा **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
गैर-योजनागत अनुदान	1,617.34(209)	1,765.98(9)	1,246.51(-29)	851.62(-32)	2,256.17(165)
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	920.37(26)	749.74(-19)	674.54(-10)	727.75(8)	856.66(18)
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	50.87(59)	87.79(73)	50.79(-42)	44.32(-13)	62.99(42)
केंद्रीय प्रायोजित स्कमों के लिए अनुदान	668.72(22)	447.11(-33)	783.09(75)	715.56(-9)	951.36(33)
कुल	**3,257.30(78)**	**3,050.62(-6)**	**2,754.93(-10)**	**2,339.25(-15)**	**4,127.18(76)**

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.3 केंद्रीय कर अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण 2012-13 में ₹ 3,062 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 3,343 करोड़ हो गए जैसा **तालिका 1.10** में दिया गया है।

तालिका 1.10: 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	ते.वि.आ. की सिफारिशें	2012-13 के लिए वास्तविक	2013-14 के लिए वास्तविक	भिन्नता
कारपोरेशन कर	राज्यों को केंद्रीय करों की हिस्से योग्य राशि का 32 प्रतिशत	1,100.02	1,124.46	24.44
आयकर		658.56	740.43	81.87
धन कर		1.84	3.08	1.24
सीमा शुल्क		508.89	545.53	36.64
केंद्रीय उत्पाद शुल्क		345.84	385.30	39.46
सेवाकर		446.98	544.44	97.46
कुल		**3,062.13**	**3,343.24**	**281.11**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

ते.वि.आ. ने केंद्रीय करों के राज्यों के हिस्से को 30.50 से 32 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्य का हिस्सा क्रमश: 1.048तथा 1.064 प्रतिशत तय किया गया था। 2013-14 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा (₹ 3,343.24 करोड़) अनुमान (₹ 3,483.90 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 140.66 करोड़ कम था।

1.3.4 राज्य की समेकित निधि में राजस्व प्राप्तियां जमा न करना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1) प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन ''राज्य की समेकित निधि'' नामक समेकित निधि के रूप में होंगे। तेरहवें वित्त आयोग ने भी लोक व्यय को बजट एवं विधान सभा के प्राधिकार से बाहर परिचालित करने की प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की।

राज्य सरकार ने कृषीय उत्पादन को बढ़ाने तथा इसकी बिक्री को सुधारने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत अधिसूचित बाजार क्षेत्र में कृषीय उत्पाद की खरीद या बिक्री एवं प्रोसेसिंग के लिए लाने पर दो प्रतिशत की दर से एड-वालोरेम आधार पर फीस उद्गृहीत की जाती है। इस प्रकार, एकत्रित राशि मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के प्रबंध करने, गोदामों के निर्माण इत्यादि के संबंध में बोर्ड द्वारा खर्च की जाती है।

निधि के अंतर्गत 2011-13 के दौरान प्राप्तियां ₹ 929.53 करोड़ थी तथा ₹ 540.02 करोड़ का व्यय किया गया। मामला वित्त विभाग के पास भेजा गया था (अक्तूबर 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2014)।

चूंकि ये निधियां वार्षिक बजट प्रस्तावों में शामिल नहीं की गई थी अत: विधान सभा के पास ऐसी निधियों पर नियंत्रण रखने का कोई अवसर नहीं था।

1.3.5 ते.वि.आ. अनुदान

वर्ष 2013 - 14 के दौरान ते.वि.आ. की सिफारिशों को पूरा करने के लिए बनाए गए बजट अनुमान तथा किए गए व्यय **तालिका** 1.11 में दिए गए हैं।

तालिका 1.11: ते.वि.आ. की सिफारिशों के विरूद्ध लागत तथा व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विभाग का नाम	स्कीम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	संशोधित परिव्यय से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
1	वन	वनों का संरक्षण	2.20	2.09	2.09	95
2	प्रारंभिक शिक्षा	प्रारंभिक शिक्षा	49.00	49.00	49.00	100
3	स्वास्थ्य सेवाएं	स्वास्थ्य मूलभूत संरचना का विकास	50.00	50.00	50.00	100
4	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	शिवालिक तथा दक्षिणी हरियाणा	75.00	69.68	68.75	99
5	स्वास्थ्य (आई.एम. आर.)	शिशु मृत्यु दर कम करना	12.22	12.22	12.22	100
6	जन स्वास्थ्य	नाल्ला में मेवात मैडीकल कालेज का निर्माण	25.00	19.10	19.10	100
7	आई.टी.आई.	मेवात क्षेत्र में प्रशिक्षण मूलभूत संरचना का विकास	25.00	23.39	24.23	104
8	स्वास्थ्य (चिकित्सा शिक्षा)	चिकित्सा सुविधाओं का विकास	40.00	25.00	25.00	100
	कुल		**278.42**	**250.48**	**250.39**	

(स्रोतः वित्त विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े)

उपर्युक्त आठ स्कीमों में वास्तविक व्यय ते.वि.आ. की ₹ 250.48 करोड़ की सिफारिशों के विरूद्ध 2013 - 14 के दौरान ₹ 250.39 करोड़ था।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूलियां तथा उधार अग्रिमों की प्राप्तियां (आंतरिक एवं भा.स.) तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। पांच वर्षों (2009 - 14) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों के विवरण **तालिका** 1.12 में दिए गए हैं।

तालिका 1.12: प्राप्तियों की वृद्धि एवं गठन में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूंजीगत प्राप्तियां (सी.आर.)	**8,677.60**	**10,083.78**	**11,070.19**	**15,573.73**	**17,875.90**
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	9.39	8	9.24	10.81	9.89
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	212.84	233.05	294.12	349.38	261.85
लोक ऋण प्राप्तियां	8,455.37	9,842.73	10,766.83	15,213.54	17,604.16
पिछले वर्ष पर वृद्धि की दर (प्रतिशम)					
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का	117	16	9	41	16
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का	(-) 38	8	26	19	(-) 25
स.रा.घ.उ. का	22.51	18.53	16.06	14.90	13.10
पूंजीगत प्राप्तियों का	104	16	10	41	15

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4.1 विनिवेश से आय

वर्ष 2013-14 के दौरान पूंजीगत विनिवेश से कुल आय ₹ 9.89 करोड़ थी जो पिछले वर्ष (₹ 10.81 करोड़) से 8.51 प्रतिशत कम हैं।

1.4.2 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां

वर्ष के दौरान ₹ 261.85 करोड़ के ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की गई थी। इनमें से ₹ 207.89 करोड़ सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुनर्भुगतान किए गए थे। 31 मार्च 2014 को ₹ 3,262.08 करोड़ की कुल बकाया राशि में से मात्र ₹ 53.96 करोड़ अन्य संस्थाओं से वूसल किए गए थे जो बकाया ऋणों की वसूली हेतु राज्य सरकार के कमजोर प्रयासों को दर्शाता है।

1.4.3 आंतरिक स्रोतों से उधार प्राप्तियां

2013-14 के दौरान आंतरिक उधार प्राप्तियों के रूप में ₹ 17,262.69 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी जो पिछले वर्ष से ₹ 2,100.30 करोड़ (13.85 प्रतिशत) अधिक थी। बाजार ऋणों के रूप में ₹ 11,446.18 करोड़ के ऋण, वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से ₹ 5,249.91 करोड़ तथा राष्ट्रीय लघु बचत कोष से ₹ 566.60 करोड़ 2013-14 के दौरान उठाए गए थे।

1.4.4 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार से कुल ऋण एवं अग्रिम 2012-13 में ₹ 1,977.73 करोड़ से ₹ 173.08 करोड़ बढ़कर 2013-14 में ₹ 2,150.81 करोड़ हो गए थे। भारत सरकार से ₹ 341.47 करोड़ के ऋण प्राप्त किए गए थे तथा वर्ष के दौरान ₹ 168.39 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

लघु बचतों, भविष्य निधियों, रिजर्व फंडस, डिपोजिटस, सस्पेंस, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ निश्चित लेन-देनों, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते, के संबंध में प्राप्तियों एवं संवितरणों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा राज्य विधान सभा द्वारा वोट के अधीन नहीं है। लोकलेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों की प्रवृत्तियां **तालिका 1.13** में दी गई हैं।

तालिका: 1.13 : 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा से संवितरण		संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य	
	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
ए) लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	2,310.94	2,498.81	1,852.98	1,777.82	457.96	720.99
बी) आरक्षित निधि	666.68	511.50	106.01	60.20	560.67	451.30
सी) जमा	13,104.52	15,621.07	12,507.55	14,534.64	596.97	1,086.43
डी) अग्रिम	45.38	24.43	45.30	24.43	0.08	--
ई) उचंत तथा विविध	652.76	371.03	560.82	641.64	91.94	(-) 270.61
एफ) प्रेषण	5,928.62	7,521.22	6,001.22	7,521.46	(-) 72.60	(-) 0.24
कुल	**22,708.90**	**26,548.06**	**21,073.88**	**24,560.19**	**1,635.02**	**1,987.87**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

संसाधनों के अनुप्रयोग के विश्लेषण, विभिन्न शीर्षों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय, वेतन, ब्याज भुगतान, सबसीडियों, पेंशन भुगतान पर व्यय तथा फ्लैगशिप स्कीमों पर व्यय के अंतर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में किए जाते हैं।

1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट 1.5 गत पांच वर्षों (2009 - 14) की अवधि के कुल व्यय प्रस्तुत करता है तथा वर्ष 2009 - 10 से 2013 - 14 के लिए 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' दोनों के संदर्भ में इसका संघटन क्रमश: **चार्ट 1.6 एवं 1.7** में प्रदर्शित किया गया है।

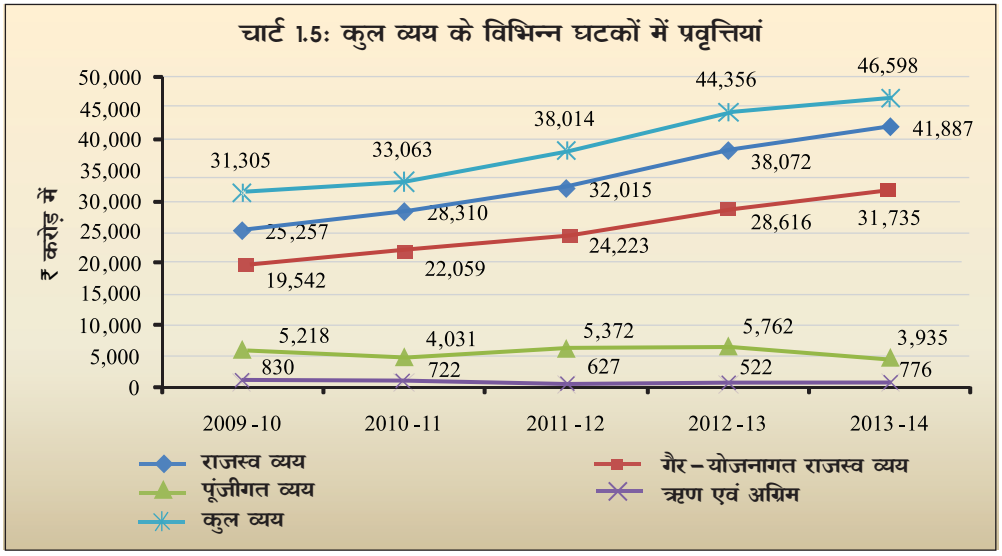

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।)

पांच वर्षों (2009 - 14) की अवधि में कुल व्यय 49 प्रतिशत बढ़ गया। यह पिछले वर्ष से 5.05 प्रतिशत बढ़ गया। प्लान तथा नॉन-प्लान व्यय का हिस्सा 34 प्रतिशत तथा 66 प्रतिशत के अनुपात में था। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 66 प्रतिशत बढ़ गया और पूंजीगत व्यय 25 प्रतिशत घट गया। 2009 - 10 से 2013 - 14 की अवधि के दौरान ऋणों और अग्रिमों का संवितरण भी 6.51 प्रतिशत तक घट गया।

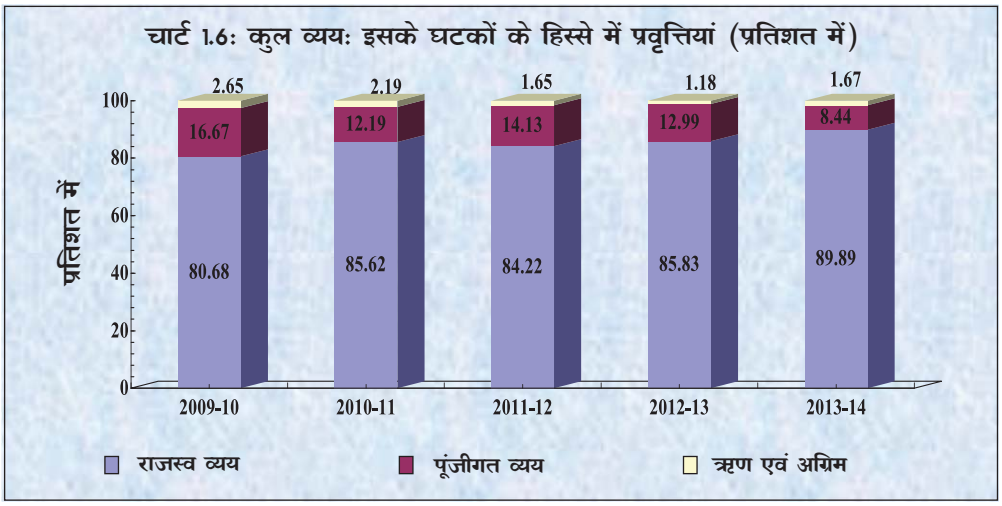

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2009-10 में 80.68 प्रतिशत से 2013-14 में 89.89 प्रतिशत तक बढ़ गया जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2009-10 में 16.67 प्रतिशत से 2013-14 में 8.44 प्रतिशत तक घट गया तथा संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा भी 2009-10 में 2.65 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 1.67 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय से गै.यो.रा.व्य. का अनुपात 2009-10 में 62.42 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 68.10 प्रतिशत हो गया। स.रा.घ.उ. से गै.यो.रा.व्य. का अनुपात 2009-10 में 8.74 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 8.26 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 1.7: कुल व्यय: गतिविधियों द्वारा प्रवृत्तियां (प्रतिशत में)

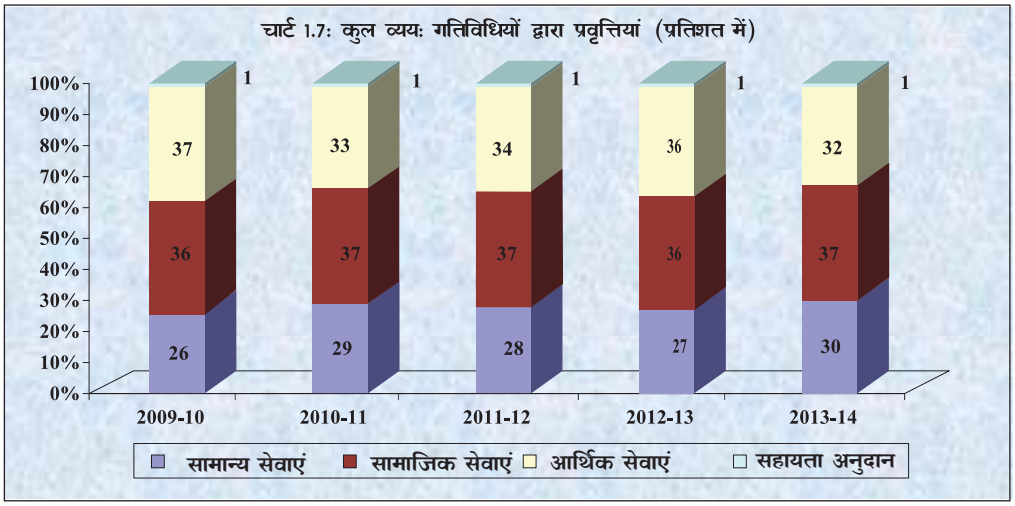

व्यय के विभिन्न घटकों के संबंधित हिस्सों के चलन ने प्रकट किया कि जबकि ब्याज भुगतानों तथा सामाजिक सेवाओं सहित सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2009-10 में क्रमश: 26 तथा 36 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में क्रमश: 30 तथा 37 प्रतिशत हो गया, आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 2009-10 में 37 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 में 32 प्रतिशत हो गया जबकि उसी अवधि में सहायतानुदान का हिस्सा समान रहा। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा, जिससे विकास व्यय निरूपित किया है, भी 2009-10 में 73 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 में 69 प्रतिशत हो गया।

1.6.2 राजस्व व्यय

तालिका 1.14 पांच वर्षों (2009-14) के राजस्व व्यय की वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.14: राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व व्यय	25,257	28,310	32,015	38,072	41,887
वृद्धि दर (प्रतिशत)	23	12	13	19	10
स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता	11	11	11	11	11
गैर-योजना राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.)	19,542	22,059	24,223	28,616	31,735
राजस्व व्यय गै.यो.रा.व्य. की प्रतिशतता	77	78	76	75	76

2009-14 के दौरान राजस्व व्यय 10 तथा 23 प्रतिशत के मध्य रही वृद्धि दर के साथ ₹ 16,630 करोड़ (66 प्रतिशत) बढ़ गया किंतु इसी अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. से इसकी प्रतिशतता लगभग 11 प्रतिशत पर स्थिर रही।

राजस्व व्यय वर्ष 2012 - 13 में ₹ 38,072 करोड़ से 10 प्रतिशत बढ़कर 2013 - 14 में ₹ 41,887 करोड़ हो गया। मुख्यत: पेंशनों (₹ 533 करोड़) तथा ब्याज भुगतानों (₹ 1,106 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹ 1,700 करोड़ तक बढ़ गया। मुख्यत: ग्रामीण विकास (₹ 437 करोड़), परिवहन (₹ 270 करोड़) तथा कृषि एवं सिंचाई (₹ 243 करोड़) पर व्यय के कारण आर्थिक सेवाओं पर व्यय ₹ 1,183 करोड़ तक बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय मुख्यत: शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 350 करोड़), समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 270 करोड़) तथा जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 152 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण ₹ 897 करोड़ तक बढ़ गया। राजस्व व्यय के गै.यो.रा.व्य. (76 प्रतिशत) तथा योजनागत राजस्व व्यय (यो.रा.व्य.) (24 प्रतिशत) में विघटन ने दर्शाया कि गै.यो.रा.व्य. का अनुपातिक हिस्सा यो.रा.व्य. से बहुत अधिक था। राजस्व व्यय में ₹ 3,815 करोड़ की कुल वृद्धि में गै.यो.रा.व्य. और यो.रा.व्य. के क्रमश: ₹ 3,119 करोड़ और ₹ 696 करोड़ शामिल थे।

2013 - 14 में ₹ 31,735 करोड़ का गै.यो.रा.व्य., ते.वि.आ. के मानकी निर्धारण (₹ 22,138 करोड़), रा.सु.प. के प्रक्षेपण (₹ 31,135 करोड़) से अधिक था परंतु सरकार द्वारा इसके म.अ.रा.नी.वि. के प्रक्षेपण (₹ 32,420 करोड़) से थोड़ा कम था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यत: ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशनों तथा सबसीडियों पर व्यय शामिल हैं। 2009 - 14 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को **तालिका 1.15** एवं **चार्ट 1.8** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरियां जिसका है	8,440 (40)	9,809 (38)	9,960 (33)	11,464 (34)	11,970	11,816* (31)
गैर - योजनागत शीर्ष	7,746	8,974	9,070	10,280	10,665	10,374
योजनागत शीर्ष**	694	835	890	1,184	1,305	1,442
ब्याज भुगतान	2,737 (13)	3,319 (13)	4,001 (13)	4,744 (14)	5,992	5,850 (15)
पेंशनों पर व्यय	2,390 (11)	3,094 (12)	3,204 (10)	3,636 (11)	4,047	4,169 (11)
सबसीडिज	3,089 (15)	3,285 (13)	3,853 (13)	5,454 (16)	5,200	5,681 (15)
कुल	**16,656**	**19,507**	**21,018**	**25,298**	**27,209**	**27,516**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त सूचना)।

नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गये आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।

* ₹ 140.14 करोड़ की मजदूरियां शामिल हैं।

** योजनागत शीर्ष में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत दिये गये वेतन एवं मजदूरियां भी सम्मिलित हैं।

चार्ट 1.8: 2009 – 14 के दौरान गैर – योजनागत राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा (प्रतिशत में)

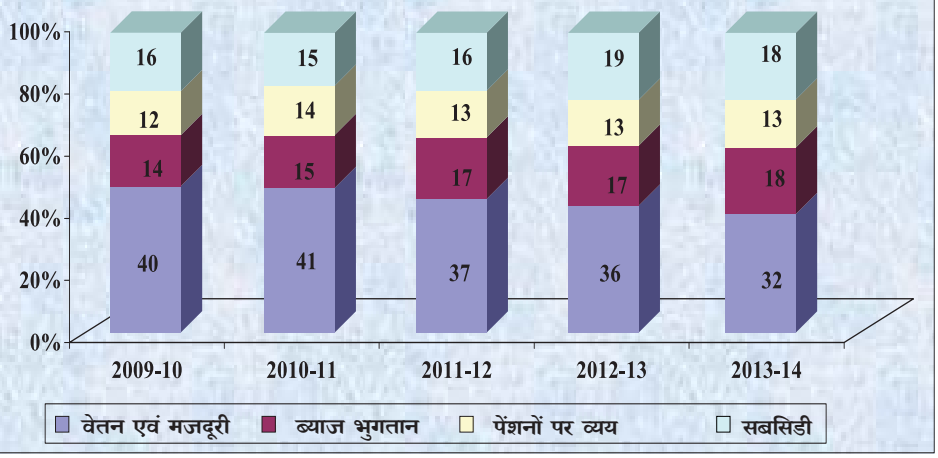

वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय (₹ 21,695 करोड़) सरकार द्वारा इसके रा.सु.प. (₹ 20,250 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 1,445 करोड़ (सात प्रतिशत) अधिक था तथा ते.वि.आ. में प्रक्षेपित 36 प्रतिशत के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियों का 57 प्रतिशत उपयुक्त किया। चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन भुगतान तथा सबसिडी में 2013 – 14 के दौरान गै.यो.रा.व्य. का लगभग 87 प्रतिशत संघटित किया।

वेतनों पर व्यय

2009 – 10 से 2013 – 14 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय (₹ 11,816 करोड़) 40 प्रतिशत बढ़ गया। 2004 – 05 से 2012 – 13 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय की कंपाऊंड वार्षिक विकास दर 15.13 प्रतिशत थी, जो सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (₹ 14.73 प्रतिशत) से अधिक थी। 2004 – 2005 से 2013 – 14 की अवधि हेतु यह वृद्धि दर 13.71 प्रतिशत तक घट गई ***(परिशिष्ट 1.1)***। वेतनों पर व्यय (₹ 11,676 करोड़) राज्य के अपने रा.सु.प. (₹ 10,990 करोड़), ते.वि.आ. के निर्धारण (₹ 7,687 करोड़) से अधिक था किंतु म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपण (₹ 12,792 करोड़) से कम था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान (₹ 5,850 करोड) पांच वर्ष (2009 – 14) की अवधि में 114 प्रतिशत बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में 2013 – 14 के दौरान ₹ 1,106 करोड़ (23 *प्रतिशत*) की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2009 – 10 में 13 प्रतिशत से बढ़कर 2013 – 14 में 15.39 प्रतिशत हो गई। 2013 – 14 के दौरान ब्याज भुगतान सरकार द्वारा अपने रा.सु.प. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 5,180 करोड़) और ते.वि.आ. द्वारा किए गए निर्धारण (₹ 5,314 करोड़) से अधिक थे किंतु म.अ.रा.नी.वि. के प्रक्षेपणों (₹ 6,302 करोड़) के अंतर्गत रही ***(परिशिष्ट 1.6)***।

सबसिडीज़

सबसिडीज़ पर भुगतान 2009 - 10 में ₹ 3,089 करोड़ से ₹ 2,592 करोड़ (84 प्रतिशत) बढ़कर 2013 - 14 में ₹ 5,681 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 15 प्रतिशत था। ₹ 5,681 करोड़ के कुल सबसिडीज़ में से ₹ 5,206 करोड़ (92 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए थे। बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र को कुल सबसिडीज़ रा.सु.प. में प्रक्षेपण (₹ 4,020 करोड़) से अधिक था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

सबसिडीज़ आंशिक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं क्योंकि इनमें अप्रत्यक्ष सबसिडीज़ शामिल नहीं हैं। 2013 - 14 के दौरान प्रदान किए गए कुछ अप्रत्यक्ष सबसिडीज़ **तालिका 1.16** में दिए गए हैं।

तालिका 1.16: कुछ अप्रत्यक्ष सबसिडीज़ के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम/सबसिडी	बजट अनुमान	व्यय
1.	मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रीएंट डैफीशिएंसी मैनेज करने की स्कीम	5.83	1.62
2.	फसलों की विविधता के प्रोत्साहन की स्कीम	11.00	4.98
3.	मिट्टी स्वास्थ्य एवं उर्वरता के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना	3.00	0.15
4.	जल बचाव प्रौद्योगिकी को अपनाने पर सहायता प्रदान करने की स्कीम	12.75	7.13
5.	हरियाणा में एकीकृत बागवानी विकास की स्कीम	7.50	6.74
6.	बागवानी क्षेत्र में उन्नत अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के प्रोमोशन की स्कीम	4.45	2.84
7.	माईक्रो इरीगेशन	42.50	33.38
8.	हाई - टैक डेरी इकाइयों की स्थापना के लिए स्कीम	4.00	2.16
9.	सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम दिए गए लघु अवधि ऋणों पर ब्याज की दर पर छूट	18.00	29.21
10.	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को सहायता	107.00	107.00
11.	ग्रामीण आवास स्कीम के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए ऋण	3.92	2.74
12.	सभी सहकारी चीनी मिलों को ऋण का एकमुश्त निपटान	150.00	150.00

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखे)

पेंशन भुगतान

2009 - 10 से 2013 - 14 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान (₹ 4,169 करोड़) 74 प्रतिशत तक बढ़ गई परन्तु राजस्व प्राप्तियों से इसकी प्रतिशतता इस अवधि के दौरान लगभग स्थिर रही। 2013 - 14 में पेंशन भुगतानों पर व्यय ते.वि.आ. द्वारा किए गए आकलनों (₹ 2,581 करोड़) तथा सरकार द्वारा ₹ 4,080 करोड़ के अपने रा.सु.प. में किए गए प्रक्षेप ों से अधिक था ***(परिशिष्ट 1.6)***। 1 जनवरी 2006 से राज्य द्वारा पेंशन देयताओं की बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए एक नई अंशदायी पेंशन स्कीम आरम्भ की गई थी।

फ्लैगशिप स्कीमें: व्यय की स्थिति

फ्लैगशिप स्कीमें, राष्ट्र के इनक्लुसिव विकास की ओर भारत सरकार की प्रतिबद्धता का संपूर्ण एवं विवेचनात्मक भाग हैं। केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार के मंत्रालयों, उनकी फंक्शनरीज तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर - सरकारी संगठनों द्वारा फ्लैगशिप स्कीमों के लिए 2013 - 14 के दौरान **तालिका 1.17** में दर्शाई गई राशियां जारी की गई थी।

तालिका 1.17: हरियाणा में कार्यान्वित फलैगशिप स्कीमों के अतंर्गत निधियों की उपलब्धता की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	आरंभिक शेष	से प्राप्त निधियां			कुल	व्यय	उपलब्ध निधियों से व्यय की प्रतिशतता
			भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	आरंभिक शेष सहित अन्य स्रोत			
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	98.74	313.48	101.64	10.02	523.88	423.77	81
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	25.50	339.19	37.69	11.99	414.37	380.61	92
3	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	41.18	49.75	70.00	33.89	194.82	158.88	82
4	इन्दिरा आवास योजना	11.96	98.31	24.81	2.44	137.52	104.55	76
5	सर्व शिक्षा अभियान	87.00	350.88	237.94	4.80	680.62	602.37	89
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	82.12	215.83	355.00	--	652.95	711.78	109
7	मिड-डे-मील स्कीम	20.20	197.20	72.95	--	290.35	219.24	76
8	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	29.11	285.75	88.21	--	403.07	336.16	83
9	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	8.02	--	--	28.30	36.32	23.01	63
10	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	(-)59.60	--	74.00	135.28	149.68	101.08	68
11	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	10.99	3.63	--	1.84	16.46	5.57	34

(स्रोत: वित्तीय लेखे एवं संबंधित विभागों से प्राप्त सूचना।)

इंदिरा आवास योजना, मिड-डे मील, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना तथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उपलब्ध निधियों की उपयोगिता 63 तथा 76 प्रतिशत के मध्य थी तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उपयोगिता केवल 34 प्रतिशत थी।

1.6.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदानों एवं ऋणों के माध्यम से दी गई सहायता की प्रमात्रा **तालिका 1.18** में दी गई है।

तालिका 1.18: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14		
					बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थाएं (सहायतित स्कूल, सहायतित कालेज, विश्वविद्यालय आदि)	446.03	741.79	648.39	1,140.09	1,215.85	783.66	(-) 36
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	306.24	291.43	894.67	1,274.01	1,125.30	1,120.80	0
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	366.26	267.83	722.40	882.65	977.52	1,263.49	29
विकास अभिकरण	333.48	388.23	480.96	450.65	461.89	523.36	13
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	125.79	211.97	357.67	580.02	610.40	518.83	(-) 15
अन्य	368.89	322.21	201.92	320.53	426.06	329.53	(-) 23
कुल	**1,946.69**	**2,223.46**	**3,306.01**	**4,647.95**	**4,817.02**	**4,539.67**	**(-) 6**
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	8	8	10	12		11	

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित)

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2009 - 10 में ₹ 1,946.69 करोड़ से 2013 - 14 के दौरान राजस्व व्यय का 11 प्रतिशत संघटित करते हुए ₹ 4,539.67 करोड़ तक बढ़ गई परंतु शैक्षिक संस्थाओं (₹ 356.43 करोड़), नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं (₹ 153.21 करोड़) तथा अस्पतालों एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं (₹ 61.19 करोड) को सहायता में कमी के कारण गत वर्ष की तुलना में ₹ 108.28 करोड़ (2.33 प्रतिशत) घट गई। यह जिला परिषद् को ₹ 380.84 करोड़ तथा विकास एजेंसियों को ₹ 72.71 करोड़ की वृद्धि द्वारा प्रतिसंतुलित थी। ₹ 4,817.01 करोड़ के अनुमानित प्रावधान के विरूद्ध, ₹ 4,539.67 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। बजट अनुमान की तुलना में शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक सहायता में कमी की रेंज 15 और 36 प्रतिशत के मध्य क्रमबद्ध रही।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता सामान्यत: इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मूलत: तीन पहलू सम्मिलित होते हैं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान); व्यय की कुशलता (प्रयोग) तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिये परिव्यय - परिणाम संबंधों का आकलन)।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

मानवीय विकास बढ़ाने के लिये राज्यों द्वारा मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उनका व्यय बढ़ाना अपेक्षित है। **तालिका 1.19** विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय से संबंधित सरकार की 2013 - 14 के दौरान राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.19: 2010 – 11 और 2013 – 14 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कु.व्य./ स.रा.घ.उ.	वि.व्य.#/ कु.व्य.	सा.क्षे.व्य./ कु.व्य.	पू.व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2010-11	15.78	65.09	36.88	13.49	17.48	4.37
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2010-11	12.68	70.36	37.45	12.19	18.06	3.29
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2013-14	15.92	66.45	37.56	13.62	17.20	4.51
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2013-14	12.13	69.31	36.99	8.44	16.16	3.76

*तीन राज्यों अर्थात् दिल्ली, गोवा तथा पुदुचेरी को छोड़कर सामान्य श्रेणी राज्य।

कु.व्य. - कुल व्यय, वि.व्य. - विकास व्यय, सा.क्षे.व्य. - सामजिक क्षेत्र व्यय, पू.व्य. - पूंजीगत व्यय।

#विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

स.रा.घ.उ. का स्रोत: राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय से सूचना प्राप्त की गई थी।

राजकोषीय प्राथमिकता:

- स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में हरियाणा का कुल व्यय 2010 - 11 तथा 2013 - 14 दोनों वर्षों में सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में कम था।

- सरकार ने 2010 – 11 तथा 2013 – 14 में वि.व्य. को पर्याप्त वित्तीय प्राथमिकता दी, क्योंकि कु.व्य. से इसका अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत अनुपात से अधिक था।
- कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात 2010 – 11 तथा 2013 – 14 में अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात से कम था।
- कु.व्य. से शिक्षा पर व्यय का अनुपात 2013 – 14 में अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात से कम था।
- हरियाणा में स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता 2010 – 11 तथा 2013 – 14 में अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों से कम थी।

1.7.2 व्यय प्रयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिये समुचित व्यय की तर्कसंगत व्यवस्था करना तथा कोर पब्लिक और मैरिट गुड्स के प्रावधान पर बल देना आवश्यक है। विकास व्यय आबंटन में सुधार करने के अतिरिक्त, विशेषरूप से हाल के वर्षों में उधार देने पर व्यय में कमी के कारण सृजित किए जा रहे फिस्कल स्पेस के दृष्टिगत, कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से पूंजीगत व्यय का अनुपात और वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख-रखाव पर किए जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात के द्वारा भी व्यय प्रयोग की दक्षता प्रतिबिम्बित होती है। इन घटकों का कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से अनुपात जितना उच्चत्तर होगा उतनी ही अच्छी व्यय की गुणवत्ता होगी। विकास व्यय में सामाजिक-आर्थिक सेवाओं में ऋणों एवं अग्रिमों सहित राजस्व तथा पूंजीगत व्यय शामिल है। **तालिका 1.20** 2009 – 10 से 2013 – 14 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय के संबंध में विकास व्यय में प्रवृत्तियों को दर्शाती है। **तालिका 1.21** चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किए गए राजस्व व्यय के घटकों तथा पूंजीगत व्यय के विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.20: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग तक)	**23,103 (74)**	**23,266 (70)**	**27,192 (72)**	**31,868 (72)**	**37,724 (71)**	**32,300 (69)**
क) विकास राजस्व व्यय	17,432 (56)	18,901 (57)	21,696 (57)	26,073 (59)	31,563 (59)	28,154 (60)
ख) विकास पूंजीगत व्यय	5,031 (16)	3,832 (12)	5,137 (14)	5,511 (12)	5,472 (10)	3,653 (8)
ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	640 (2)	533 (1)	359 (1)	284 (1)	689 (1)	493 (1)

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

(नोटः कोष्ठकों में आंकड़े कुल व्यय की प्रतिशतता सूचित करते हैं।)

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान विकास व्यय 40 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह व्यय, जिसने कुल व्यय का 69 प्रतिशत संघटित किया, 2012-13 में ₹ 31,868 करोड़ से मात्र ₹ 432 करोड़ (1.36 प्रतिशत) बढ़कर 2013-14 में ₹ 32,300 करोड़ हो गया। विकास राजस्व व्यय ने विकास व्यय का 87 प्रतिशत संघटित किया जबकि ऋणों और अग्रिमों सहित पूंजीगत व्यय का हिस्सा केवल 13 प्रतिशत था। विकास पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष से 34 प्रतिशत कम हो गया। ₹ 37,724 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध वास्तविक व्यय ₹ 32,300 करोड़ था।

तालिका 1.21: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय-प्रयोग की कुशलता

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2012-13			2013-14		
	कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा		कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा	
		वे. व म.	प. व र.		वे. व म.	प. व र.
सामाजिक सेवाएं (सा.से.)						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.017	68.36	0.017	0.021	67.66	0.03
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.003	52.39	*	0.028	51.07	*
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.305	19.15	4.844	0.343	17.58	7.52
कुल (सा.से.)	**0.105**	**54.28**	**1.175**	**0.125**	**53.23**	**1.83**
आर्थिक सेवाएं (आ.से.)						
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	0.493	40.77	1.926	(-) 1.396	36.16	2.05
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	0.456	44.13	9.857	0.439	7.34	7.95
विद्युत एवं ऊर्जा	0.037	0.02	*	0.019	0.01	*
परिवहन	0.380	36.53	3.735	0.440	36.20	2.71
कुल (आ.से.)	**0.287**	**19.31**	**2.157**	**0.145**	**15.24**	**1.84**
कुल (सा.से. + आ.से.)	**0.201**	**37.89**	**1.636**	**0.135**	**35.38**	**1.83**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

कु.व्य.: कुल व्यय; पू.व्य.: पूंजीगत व्यय, रा.व्य.: राजस्व व्यय, वे. व म.: वेतन एवं मजदूरियां; प. व रख.: परिचालन एवं रख-रखाव; * राशि नगण्य

कुल व्यय से सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2012-13 में 0.105 से 2013-14 में 0.125 तक बढ़ गया किंतु आर्थिक सेवाओं के लिए यह 2012-13 में 0.287 से 2013-14 में 0.145 तक कम हो गया।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय का हिस्सा 2012-13 में 54.28 प्रतिशत से 2013-14 में 53.23 प्रतिशत तक थोड़ा सा कम हो गया। परिचालन एवं रख-रखाव पर व्यय का हिस्सा 2012-13 में 1.17 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 1.83 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2012-13 में 19.31 प्रतिशत से 2013-14 में 15.24 प्रतिशत तक कम हो गया। परिचालन एवं रख-रखाव का हिस्सा भी 2012-13 में 2.16 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 में 1.84 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं संयुक्त के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2012-13 में 37.89 प्रतिशत से 2013-14 में 35.38 प्रतिशत तक कम हो गया। परिचालन एवं रख-रखाव का हिस्सा 2012-13 में 1.64 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 1.83 प्रतिशत हो गया।

1.8 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 के बाद के फ्रेमवर्क में राज्य से अपना राजकोषीय घाटा (और उधार) न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की जरूरतों की पूर्ति की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार को अप्रत्यक्ष सबसीडियों के रूप में बजट में खर्च करने के बजाय इसके निवेशों पर पर्याप्त आमदनी कमाने और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय शुरू करने और वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिये जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। इस भाग में पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत की जाती है।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2014 के अंत पर ₹ 411.61 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय वाली सात सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2013-14 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 83.60 करोड़) पूंजीगत परिव्यय का 20 प्रतिशत था। कार्यचालन एवं रख-रखाव व्यय (₹ 291.03 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 20.58 करोड़) को वहन करने के पश्चात् ₹ 228.01 करोड़ की हानि थी।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2014 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना **तालिका 1.22** में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अन्तर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निश्चित तिथि 31 मार्च 2014 को समाप्त हो चुकी है।

तालिका 1.22: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजट लागत	परियाजनाओं की संशोधित कुल लागत	मार्च 2014 तक कुल व्यय
भवन एवं सड़कें	39	823.75	-	364.07
सिंचाई	1	25.23	-	34.42
कुल	**40**	**848.98**	**-**	**398.49**

(स्रोतः राज्य वित्त लेखे)

दो विभागों की 40 परियोजनाओं के पूर्ण करने की निश्चित तिथि मई 2013 और मार्च 2014 के मध्य थी, परन्तु ये ₹ 398.49 करोड़ के निवेश के बावजूद जून 2014 तक अपूर्ण थी जिससे वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2014 तक सरकार का सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों और सहकारिताओं में ₹ 7,378.87 करोड़ का निवेश था (**तालिका 1.23**)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.10 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2009-14 के दौरान उधारों पर 9.83 प्रतिशत की औसत ब्याज दर अदा की।

तालिका 1.23: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वर्ष के अन्त पर निवेश (₹ करोड़ में)	5,575.18	6,376.98	6,981.91	7,240.02	7,607.73	7,378.87
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	9.60	2.48	1.64	7.05	7.72	6.49
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.17	0.04	0.02	0.10	0.10	0.09
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.29	9.22	9.73	9.86	10.81	9.83
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	9.12	9.18	9.71	9.76	10.71	9.74

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

सरकार द्वारा निवेश 2009-10 से 2013-14 तक पांच वर्षों की अवधि में 32 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निवेशों से प्रतिलाभ 2009-10 में ₹ 9.60 करोड़ (0.17 *प्रतिशत*) से 2013-14 में ₹ 6.49 करोड़ (0.09 प्रतिशत) तक घट गए। सरकार ने अपने उधारों पर 2009-14 के दौरान 9.22 से 9.86 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिलाभ की प्रतिशतता 0.02 और 0.17 के बीच रही। 2013-14 के दौरान बजट प्रावधान (₹ 367.71 करोड) के विरूद्ध ₹ 138.85 करोड़ के निवेश थे।

₹ 4,951.28 करोड़ के कुल निवेश वाली नौ सरकारी कम्पनियां घाटे में चल रही थी और इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 24,328.51 करोड़ थी ***(परिशिष्ट 1.7)***। यह देखना उपयुक्त है कि 2013-14 में ₹ 138.85 करोड़ के कुल निवेश में से ₹ 102.92 करोड़ का निवेश सरकारी निगमों तथा कंपनियों में किया गया था। इसमें से ₹ 100 करोड़ ह.वि.प्र.नि.लि. की साम्या पूंजी में निवेश किए गए थे। तीन[3] विद्युत उत्पादन एवं वितरण कम्पनियों में ₹ 23,770 करोड़ की हानियों ने सरकारी कम्पनियों की कुल हानियों का 98 प्रतिशत संघटित किया।

राज्य सरकार ने वित्तीय पुनर्गठन योजना (वि.पु.यो.) अनुमोदित किया (मार्च 2013) तथा वि.पु.यो. को फाइनल करने के लिए स्टेट लेवल मानीटरिंग कमेटी (स्टे.ले.मा.क.) को प्राधिकृत किया। राज्य सरकार ने ₹ 7,366.60 करोड़ (उ.ह.बि.वि.नि.लि.: ₹ 5,164.23 करोड़ तथा द.ह.बि.वि.नि.लि.: ₹ 2,202.37 करोड़) की राशि की देयताएं ली तथा उस राशि के बांडस सहयोगी लैंडिंग बैंकों को जारी किए जोकि राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से समर्थित हैं।

राज्य सरकार ने गैर-कार्यचालन सा.क्षे.उ. के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन की क्रिया भी शुरू नहीं की थी यद्यपि ते.वि.आ. ने इसकी सिफारिश की थी।

[3] 31 मार्च 2014 को संचित हानियां: उ.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 14,720 करोड़), द.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 8,638 करोड़) तथा ह.पा.जे.नि.लि. (₹ 412 करोड़)।

1.8.4 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य भी किए जाते हैं। उस वर्ष, जिसके प्रोफार्मा लेखे अन्तिमकृत किये गये थे, तक सरकार द्वारा किए गए निवेशों की विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के अतिरिक्त इन उपक्रमों में निवेश की गई पूंजी पर प्रतिलाभ ***परिशिष्ट 1.8*** में दिए गए हैं। निम्नलिखित बिन्दु अवलोकित किए गए थे:

- सरकार द्वारा पांच उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, के अंत तक ₹ 6,137.45 करोड़ की राशि निवेश की गई थी।

- नुकसान में चल रहे उपक्रमों में से हरियाणा रोडवेज छः वर्षों से अधिक समय से लगातार नुकसान में चल रहा था और कृषि विभाग (बीज डिपो योजना) ने पिछले 25 वर्षों से अपने प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये थे।

- ₹ 6,118.66 करोड़ के कुल निवेश के विरूद्ध तीन[4] विभागीय उपक्रमों की हानियां ₹ 487.23 करोड़ थी।

1.8.5 लोक निजी साझेदारी में निवेश

सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना का पर्याप्त विकास उपलब्ध कराने के विचार से, जो आर्थिक वृद्धि कायम रखने के लिए अनिवार्य है, राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना के विकास के लिए लोक निजी साझेदारी (लो.नि.सां.) माध्यम को अपनाया।

31 मार्च 2014 को ₹ 58,821.70 करोड़ की कुल अनुमानित लागत के साथ 14 लो.नि.सां. परियोजनाएं ***(परिशिष्ट 1.9)*** कार्यान्वयन अधीन थी।

1.8.6 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही थी। **तालिका 1.24** 31 मार्च 2014 को बकाया ऋणों एवं अग्रिमों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

[4] कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम): ₹ 0.01 करोड़, खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम): ₹ 198.39 करोड़ तथा हरियाणा रोडवेज: ₹ 288.83 करोड़।

तालिका 1.24: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत की प्रमात्रा	2011-12	2012-13	2013-14	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	2,983	3,316		3,489
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	627	522	1,084	775
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	294	349	305	262
अन्त शेष	**3,316**	**3,489**		**4,002**
लम्बित शेष जिसके लिए नियम व शर्ते निर्धारित की गई है	3,316	3,489		4,002
निवल बढ़ोतरी	333	173	779	513
ब्याज प्राप्तियां	58	69	111	66
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां	1.84	2.03	2.6	1.76
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान	7.34	7.32	8.65	7.67
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्तियों के बीच अन्तर (प्रतिशत)	5.50	5.29	6.05	5.91

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 513 करोड़ के निवल बढ़ोतरी के कारण 31 मार्च 2014 को कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम ₹ 4,002 करोड़ थे। ₹ 881.78 करोड़ की राशि के ऋण वर्ष 2013-14 के आरंभ में सहकारी शुगर मिलों के विरूद्ध बकाया थे। इन शुगर मिलों को और ₹ 150 करोड़ के कुल ऋण दिए गए थे तथा पिछले ऋणों के विरूद्ध केवल ₹ 2.88 करोड़ वसूल किए गए थे। इसी प्रकार, ₹ 290.88 करोड़ के ऋण वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रांसमिशन तथा संवितरण सेवाओं हेतु विद्युत परियोजनाओं को दिए गए थे, 31 मार्च 2013 के बकाया ₹ 650.52 करोड़ के पिछले ऋणों के विरूद्ध केवल ₹ 7.94 करोड़ वसूल किए गए थे।

1.8.7 नकद शेष और नकद शेषों का निवेश

वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के नकद शेषों और नकद शेष के निवेश के तुलनात्मक आंकड़े **तालिका 1.25** में दिए गए हैं।

तालिका 1.25: नकद शेष और नकद शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2013 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2014 को अंत शेष
(ए) सामान्य नकद शेष		
रिजर्व बैंक में जमा	164.43	(-) 652.85
ट्रांजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
कुल	**164.97**	**(-) 652.31**
नकद शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश	92.46	3,774.41
कुल (ए)	**257.43**	**3,122.10**
(बी) अन्य नकद शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद यानि लोक निर्माण विभाग अधिकारी, वन विभाग अधिकारी, जिला कलेक्टरज	2.17	(-) 1.44
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.11	0.11
चिन्हित निधियों का निवेश	2,437.40	2,886.41
कुल (बी)	**2,439.68**	**2,885.08**
कुल योग (ए)+ (बी)	**2,697.11**	**6,007.18**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष ₹ 2,697.11 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,007.18 करोड़ हो गया। रोकड़ शेषों में से निवेश ₹ 92.46 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,774.41 करोड़ हो गया। चिन्हित शेषों से निवेश 1 अप्रैल 2013 को ₹ 2,437.40 करोड़ से ₹ 449.01 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2014 को ₹ 2,886.41 करोड़ हो गया, जो मुख्यत: सिंकिंग फंड (₹ 85.01 करोड़) तथा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (आपदा राहत निधि) (₹ 356.87 करोड़) से निवेशों में वृद्धि के कारण था। वर्ष 2013-14 के दौरान निवेशों से प्राप्त ₹ 112.59 करोड़ का ब्याज वर्ष 2012-13 के दौरान अर्जित ब्याज (₹ 35.88 करोड़) से ₹ 76.71 करोड़ तक बढ़ गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अनुबंध के अनुसार सरकार को ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना था परन्तु 2013-14 के दौरान चार दिन के लिए साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम ₹ 108.79 करोड़ लेकर न्यूनतम रोकड़ शेष रखा गया था जिसके लिए सात से दस प्रतिशत की दर पर ₹ 3.17 लाख का ब्याज दिया गया था।

शीर्ष 'चैक्स एंड बिल्स' के अंतर्गत बकाया शेष

प्रमुख शीर्ष '8670' चैक्स एंड बिल्स लेन-देनों, जो आखिरकार क्लीयर किए जाने होते हैं, के आरंभिक अभिलेख इंटरमीडियरी अकाउंट हैड का प्रतिनिधित्व करता है। 1 अप्रैल 2013 को ₹ 0.11 करोड़ की राशि बकाया थी। वर्ष के दौरान ₹ 27.80 करोड़ के खजाना चैक एवं बिल प्राप्त किए गए तथा वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर अंत शेष के रूप में ₹ 0.11 करोड़ छोड़ते हुए ₹ 27.69 करोड़ वितरित किए गए।

सरकार ने वर्ष 2013-14 के दौरान 7.59 प्रतिशत से 9.89 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित ब्याज दर पर खुले बाजार से ₹ 11,446.18 करोड़ का ऋण लिया यद्यपि पांच से 5.50 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित ब्याज दर पर निवेश किए गए कैश बैलेंस इनवेस्टमेंट अकाऊंट में ₹ 3,774.41 करोड़ का शेष था। यह दर्शाता है कि राज्य ने नए उधार लेने से पहले अपने मौजूदा नकद शेषों का उपयोग नहीं किया था।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं की बढ़त एवं बनावट

विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2014 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2013 की सदृश स्थिति से तुलना करके ***परिशिष्ट 1.5 भाग क एवं ख*** में दिया गया है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यत: आन्तरिक उधारों, भा.स. से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखा और रिजर्व फंड से प्राप्तियां शामिल होती हैं, परिसम्पत्तियां मुख्यत: पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ शेषों को शामिल करती हैं।

जैसा कि रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में परिभाषित किया गया है 'कुल देयता' से अर्थ है राज्य की समेकित निधि और राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत देयताएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लिए गए उधारों और विशेष प्रयोजन वाहनों एवं गारंटियों सहित अन्य समतुल्य दस्तावेजों, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य बजट से दिये जाते हैं, को भी शामिल करती हैं।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को ***परिशिष्ट 1.5 भाग – रव*** में प्रस्तुत किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2013 - 14 के दौरान राजकोषीय देयताओं की सरंचना को **चार्ट 1.9** और **1.10** में प्रस्तुत किया गया है।

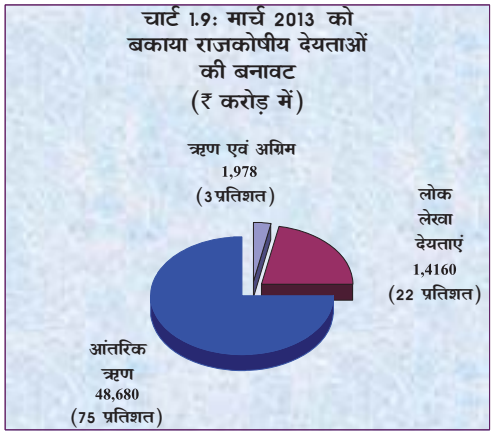

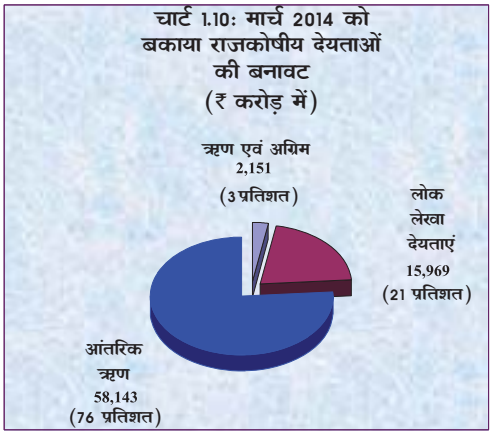

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2012 - 13 में ₹ 64,818 करोड़ से बढ़कर 2013 - 14 में ₹ 76,263 करोड़ हो गई। लोक ऋण (₹ 9,636 करोड़) और लोक खाता देयताओं (₹ 1,809 करोड़) में बढ़ोतरी के कारण पिछले साल से 2013 - 14 के दौरान वद्धि दर 17.66 प्रतिशत थी। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई और 2009 - 10 में 17.59 प्रतिशत से बढ़कर 2013 - 14 में 19.86 प्रतिशत हो गया। 2013 - 14 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का दो गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 2.50 गुणा थी। वर्ष 2013 - 14 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 5,850 करोड़ (7.67 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 76,263 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2013 - 14 में सरकार द्वारा बनाए गए म.अ.रा.नी.वि. में प्रोजेक्टिड ₹ 72,882 करोड़ तथा रा.सु.प. सिंकिंग फंड (₹ 67,770 करोड़) की सीमा से अधिक थी।

सरकार ने 2002 - 03 के दौरान एक समेकित सिंकिंग फंड स्थापित किया। पिछले वर्ष की 31 मार्च को बकाया बाजार उधारों के एक प्रतिशत के बराबर राशि प्रत्येक वर्ष इस निधि में जमा की जाती है। सिंकिंग निधि में 2013 - 14 में ₹ 977.17 करोड़ का आरंभिक शेष था। वर्ष के दौरान सरकार ने निधि में कोई राशि अंशदान नहीं की, निवेश पर ब्याज के रूप में अर्जित केवल ₹ 85.01 करोड़ निधि में जमा किए गए थे। निधि में से कोई संवितरण नहीं किए गए थे तथा निधि में ₹ 1,062.18 करोड़ की राशि थी।

1.9.3 रिजर्व फंड के अंतर्गत लेन–देन

2013–14 के प्रारंभ में रिजर्व फंड ₹ 2,712.91 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 511.50 करोड़ की बढ़ोतरी तथा ₹ 60.20 करोड़ के वितरण के कारण अंतिम शेष ₹ 3,164.21 करोड़ का था। रिजर्व फंडों में मुख्यत: सिंकिंग फंड, गारंटी रिडंप्शन फंड तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि शामिल हैं।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (आपदा राहत निधि), जो उपर्युक्त रिजर्व फंड का हिस्सा है, में ₹ 1,379.44 करोड़ का आरंभिक शेष था। वर्ष 2013–14 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 235.47 करोड़ की राशि जारी की तथा राज्य सरकार को अपने हिस्से ₹ 78.49 करोड़ (75:25 के अनुपात में) का अंशदान करना अपेक्षित था। परंतु राज्य सरकार ने केवल ₹ 40.37 करोड़, अर्थात् ₹ 38.12 करोड़ का कम अंशदान किया। ₹ 1,379.44 करोड़ के उपलब्ध आरंभिक शेष में से राज्य सरकार ने 9 प्रतिशत तथा 9.35 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित ब्याज दरों पर सावधि जमाओं में ₹ 1,264.15 करोड़ निवेश किए। शेष ₹ 115.29 करोड़ बचत बैंक खाते में जमा किए गए थे। निधि में से कोई संवितरण नहीं किया गया था तथा 2013–14 में निवेश पर ₹ 81.03 करोड़ के ब्याज की आय हुई। परंतु सावधि–जमाओं में निवेश किए गए ₹ 1,264.51 करोड़ पर ब्याज की न्यूनतम दर पर आय ₹ 113.77 करोड़ परिकलित की गई। यह दर्शाता है कि सरकार के लेखाओं में निवेश की गई निधियों पर ₹ 32.74 करोड़ की ब्याज आय कम क्रेडिट की गई। राजस्व तथा आपदा प्रबंध विभाग द्वारा निधियों के कम क्रेडिट के कारण सूचित नहीं किए गए थे (अगस्त 2014)।

1.9.4 इनऑपरेटिव रिजर्व फंडस

वित्त लेखा की विवरणी संख्या 18 में दिए गए विवरणानुसार विशेष प्रयोजनों के लिए चिन्हित 10 रिजर्व फंडस थे। जिनमें से केवल 7 फंडस एक्टिव हैं तथा 2013–14 की समाप्ति पर ₹ 12.27 करोड़ के अंत शेष वाले कृषि प्रयोजनों के लिए विकास फंडस, औद्योगिक विकास फंडस, खाद्य अनाज रिजर्व फंडस नामक तीन फंडस निष्क्रिय हैं।

1.9.5 प्रतिकूल शेष

नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड/ट्रस्टी बैंक के साथ मिलान न करने के कारण ''8342–अन्य जमा, 117–सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम'' के अंतर्गत ₹ 60.59 करोड़ का प्रतिकूल शेष था।

1.9.6 गारंटियों की स्थिति–आकस्मिक देयताएं

ऋण लेने वालों, जिनके लिये गारंटियां दी गई हैं, ऋण वापस न करने पर गारंटियां राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर सरकार द्वारा गारंटियां जारी करने की अधिकतम सीमा के लिए संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की बकाया गारंटियां **तालिका 1.26** में दी गई है।

तालिका 1.26: हरियाणा सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
फीस सहित लम्बित गारंटियों की राशि	4,536	4,528	5,608	21,124	27,309
कुल राजस्व प्राप्तियों की बकाया गारंटी राशि की प्रतिशतता	22	18	18	63	72

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2013-14 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के प्रति कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2014 को गारंटी फीस सहित गारंटियों की ₹ 27,309 करोड़ की बकाया राशि निगमों और बोर्डो (₹ 129 करोड़), सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 1,577 करोड़), सरकारी कम्पनियों (₹ 1,026 करोड़) और विद्युत (₹ 24,577 करोड़) के विरूद्ध थी। गारंटियों के अतिरिक्त सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सरकारी कम्पनियों की देयताओं के विरूद्ध ₹ 2,574 करोड़ के लैटर्स ऑफ कम्फर्ट बैंकों को जारी किए जिनसे आकस्मिक देयताओं का सृजन हुआ।

कुल देयताओं में से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को चुकाने के लिये 2003-04 के दौरान सरकार ने गारंटी रिडंपशन निधि की संरचना की। 31 मार्च 2014 को इस निधि के अंतर्गत शेष ₹ 87.75 करोड़ था। पूरी राशि जारी की गई थी। गारंटी रिडंपशन निधि की शर्तों के अनुसार, सरकार द्वारा पहले से जारी की गई गारंटियों तथा इस वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली गारंटियों का कम से कम 1/5 के बराबर राशि इस निधि में प्रदान करनी थी। 2013-14 के दौरान सरकार द्वारा किसी राशि का योगदान नहीं दिया गया था केवल निवेश पर अर्जित ₹ 7.13 करोड़ का ब्याज निधि में जमा किया गया था। 2013-14 के दौरान गारंटियों तथा लैटर्स आफ कम्फर्ट सहित कुल देयताएं ₹ 1,06,146 करोड़ (₹ 76,263 करोड़ + ₹ 27,309 करोड़ + ₹ 2,574 करोड़) रही जोकि स.रा.घ.उ. का 27.65 प्रतिशत थी।

1.10 ऋण प्रबंध

तालिका 1.27 गत पांच वर्ष के राज्य सरकार के आंतरिक उधार प्रोफाइल का टाइम सीरीज विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.27: राज्य सरकार का आंतरिक ऋण प्रोफाइल तथा प्रति व्यक्ति उधार

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	गत वर्ष पर वृद्धि की प्रतिशतता	प्रति व्यक्ति ऋण ₹ में
2009-10	21,054.48	8,319.96	2,576.41	26,798.03	5,743.55	27.28	10,806
2010-11	26,798.03	10,204.94	4,517.00	32,485.97	5,687.94	21.23	12,790
2011-12	32,485.97	11,643.38	4,786.52	39,342.83	6,856.86	21.11	15,489
2012-13	39,342.83	15,509.16	6,171.45	48,680.54	9,337.71	23.73	19,166
2013-14	48,680.54	17,371.48	7,908.87	58,143.15	9,462.61	19.44	22,891

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य सरकार का आंतरिक उधार 2009-10 में ₹ 26,798 करोड़ से ₹ 31,345.12 करोड़ (117 प्रतिशत) बढ़कर 2013-14 में ₹ 58,143 करोड़ हो गया।

ऋण पोषण क्षमता

सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अतिरिक्त, राज्य की ऋण पोषण क्षमता को निश्चित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। यह सैक्शन ऋण स्थिरीकरण; गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता; उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता; ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात द्वारा माप की गई) और सरकार की प्रतिभूतियों की मैच्योरिटी प्रोफाइल के संबंध में सरकार की ऋण पोषण क्षमता निर्धारित करता है। **तालिका 1.28** 2009-10 से आरंभ पांच वर्ष की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण पोषण का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.28: ऋण पोषण क्षमता: सूचक एवं प्रवृतियां

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरीकरण के सूचक	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा फैलाव + प्राथमिक घाटा)	(-) 5,594	(-) 17	259	(-)2,869	(-) 344
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (रिसोर्स गैप)	(-) 3,533	2,831	105	(-)3,209	2,048
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	4,682	3,564	4,642	6,138	6,045
ब्याज भुगतानों का भार (आई.पी./आर.आर. अनुपात)	13	13	13	14	15
राज्य ऋण का मेच्योरिटी प्रोफाइल (वर्ष में)					
0 – 1	2,542.49 (9)	3,275.07 (9)	4,970.85 (12)	6,224.90 (12)	4,948.92 (8)
1 – 3	3,603.25 (12)	4,314.32 (12)	4,585.10 (11)	4,731.52 (9)	3,904.94 (6)
3 – 5	4,024.21 (14)	4,431.02 (13)	3,645.32 (9)	2,450.62 (5)	5,308.41 (9)
5 – 7	3,149.83 (11)	2,115.30 (6)	4,714.03 (11)	8,825.02 (18)	10,725.71 (18)
7 वर्ष एवं अधिक	15,377.52 (54)	20,538.33 (60)	23,480.82 (57)	28,423.90 (56)	35,405.98 (59)

(कोष्ठकों में आंकड़े राज्य के कुल ऋण से प्रतिशतता को सूचित करते हैं)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

ऋण पोषण क्षमता के चार सूचकों में से राज्य का तीन सूचकों पर अर्थात् ऋण पोषण क्षमता, गैर-ऋण प्राप्तियों की प्र्याप्तता तथा उधार ली गई निधियों से निवल उपलब्धता में अच्छा प्रदर्शन था।

राज्य ऋण की मैच्योरिटी प्रोफाइल, जैसा कि **तालिका 1.28** में दी गई है, इंगित करती है कि सरकार को इसके ऋणों का एक से तीन वर्षों के मध्य छ: *प्रतिशत*, तीन से पांच वर्षों के मध्य नौ प्रतिशत, पांच से सात वर्षों के मध्य 18 प्रतिशत और 59 प्रतिशत ऋण का पुनर्भुगतान सात वर्षों के बाद करना होगा जिसके लिए सरकार को आने वाले वर्षों में ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए निधियां सृजित करने के लिए अपनी वित्त पोषण क्षमता बढ़ानी होगी।

सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अतिरिक्त उधार, जो इन महत्वपूर्ण वर्षों में मैचयोर हों, न लिए जाए, ऋण पुनर्भुगतान नीति निर्धारित करनी होगी। जब तक ऋण नियंत्रित नहीं किए जाते, राज्य को ऋण सेवा में गंभीर समस्या होगी।

उधार समेकन तथा राहत सुविधा

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने भा.स. से समेकित ऋणों के पुनर्भुगतान पर 2008 – 09 से 2013 – 14 प्रत्येक वर्ष ₹ 96.67 करोड़ की राहत दी। भारत सरकार ने केंद्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों के अंतर्गत 2013 – 14 के दौरान ₹ 35.88 करोड़ के केंद्रीय ऋणों को भी बट्टे खाते में डाल दिया।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

विशिष्ट अवधि के दौरान सरकार के वित्तो में सकल राजकोषीय असंतुलन की मात्रा को तीन राजकोषीय मानक अर्थात् राजस्व राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटा इंगित करते हैं। यह सैक्शन, इन घाटों की प्रकृति, मात्रा और वित्त पोषण की पद्धति को तथा वित्त वर्ष 2013 – 14 के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटों की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.11 2009 – 14 की अवधि में घाटा संकेतकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.11: घाटे में प्रवृत्तियां

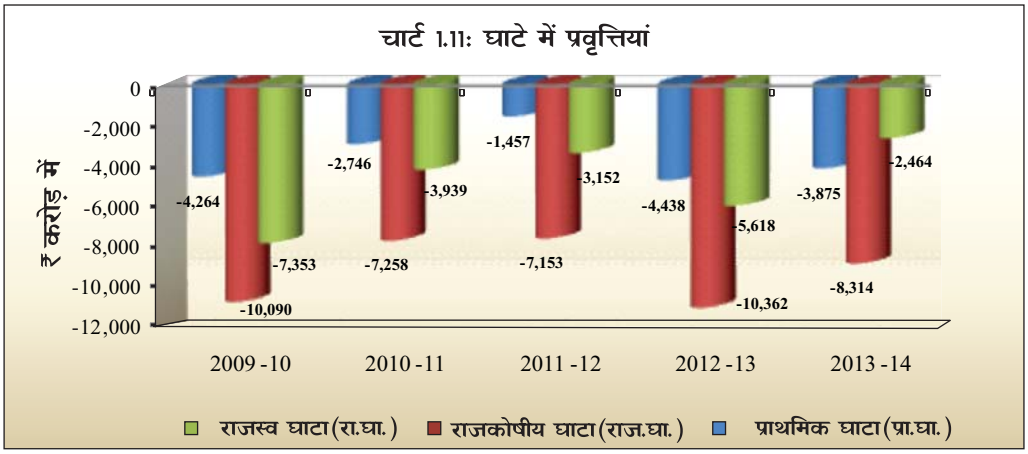

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

राजस्व घाटा, जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य इंगित करता है रा.उ.ब.प्र. के अनुसार 2011 – 12 तक शून्य तक नीचे लाया जाना था और 2014 – 15 तक शून्य पर स्थिर रखा जाना था। राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2012 – 13 के दौरान क्रमशः ₹ 4,438 करोड़, ₹ 10,362 करोड़ और ₹ 5,618 करोड़ था, 2013 – 14 क्रमशः ₹ 3,875 करोड़, ₹ 8,314 करोड़ और ₹ 2,464 करोड़ तक घट गया। वर्ष 2013 – 14 के लिए नियत किया गया शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका *(परिशिष्ट 1.6)*।

1.11.2 राजकोषीय घाटा और इसकी वित्त पोषण पद्धति का संघटन

तालिका 1.29 में दर्शाए गए अनुसार राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है। 2013-14 के दौरान राजकोषीय घाटा वित्त प्रबंध के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण **तालिका 1.30** में दिए गए हैं।

तालिका 1.29: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजकोषीय घाटे के घटक		(-) 10,090	(-) 7,258	(-) 7,153	(-) 10,362	(-) 8,314
1	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 4,264	(-) 2,746	(-) 1,457	(-) 4,438	(-) 3,875
2	निवल पूंजीगत व्यय	(-) 5,209	(-) 4,023	(-) 5,363	(-) 5,751	(-) 3,925
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 617	(-) 489	(-) 333	(-) 173	(-) 514
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति						
1	मार्किट उधार	3,683.68	4,157.63	5,994.89	8,574.38	10,621.36
2	भा.स. से ऋण	(-) 34.16	183.71	(-) 127.17	(-) 75.54	173.08
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	534.43	934.31	(-) 329.47	(-) 91.55	28.07
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,525.45	595.99	1,191.44	854.88	(-) 1,186.82
5	लघु बचत भविष्य निधि इत्यादि	861.92	747.80	718.53	457.96	720.99
6	रिजर्व निधि	(-) 39.13	8.93	(-) 16.65	(-) 39.09	2.29
7	जमा एवं अग्रिम	526.64	316.66	826.54	597.05	1,086.43
8	उचंत एवं विविध	2,785.98	(-) 635.88	406.73	370.77	(-) 3,948.95
9	प्रेषण	(-) 282.96	305.08	214.88	(-)72.60	(-) 0.25
10	**ओवर आल सरप्लस (+) घाटा (-)**	**9,561.85**	**6,614.23**	**8,879.72**	**10,576.26**	**7,496.20**
11	रोकड़ शेष में अधिक (-) कमी (+)*	(+) 528.81	(+) 644.20	(-) 1,726.40	(-) 214.43	(+) 817.28
12	**सकल राजकोषीय घाटा**	**10,090**	**7,258**	**7,153**	**10,362**	**8,314**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

*** 8999-रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)।**

तालिका 1.30: वित्तीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार उधार	11,446.18	824.82	10,621.36
2	भा.स. से ऋण	341.47	168.39	173.08
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	566.60	538.53	28.07
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	5,249.91	6,436.73	(-) 1,186.82
5	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	2,498.81	1,777.82	720.99
6	जमा और अग्रिम	15,645.50	14,559.07	1,086.43
7	रिजर्व निधियां	511.50	509.21	2.29
8	उचंत एवं विविध	42,783.95	46,532.90	(-) 3,948.95
9	प्रेषण	7,521.21	7,521.46	(-) 0.25
10	**समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)**			**7,496.20**
11	नकद शेष में वृद्धि (-) कमी (+)			817.28
12	**कुल राजकोषीय घाटा**			**8,314**

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

2013-14 में बाजार उधारों का योगदान ₹ 10,621 करोड़ था जो कि पिछले वर्ष के ₹ 8,574 करोड़ से ₹ 2,047 करोड़ अधिक था। घाटे को पोषित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य मुख्य उपाय, राज्य भविष्य निधि में वृद्धि (₹ 721 करोड़) और जमाओं में वृद्धि (₹ 1,086 करोड़) किए गए।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक राजस्व घाटे में प्राथमिक घाटे के घटक एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) राज्य के वित्तों में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करते हैं। प्राथमिक घाटे के घटकों (**तालिका 1.31**) से यह पता चलता है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि, जोकि राज्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए वांछनीय है, का घाटे में कितना योगदान है।

तालिका 1.31: प्राथमिक घाटा/का आधिक्य – फैक्टरर्ज विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2009-10	21,215	22,520	5,218	830	28,568	(-) 1,305	(-) 7,353
2010-11	25,805	24,991	4,031	722	29,744	814	(-) 3,939
2011-12	30,861	28,014	5,372	627	34,013	2,847	(-) 3,152
2012-13	33,994	33,328	5,762	522	39,612	666	(-) 5,618
2013-14	38,284	36,037	3,935	776	40,748	2,247	(-) 2,464

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

गैर-ऋण प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय से उच्चतर दरों पर बढ़ोतरी के कारण प्राथमिक राजस्व आधिक्य ने 2013-14 में सुधार दिखाया। गैर-ऋण प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी और इन प्राप्तियों का हिस्सा पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया गया। प्राथमिक घाटा इंगित करता है कि उधार ली गई निधियां प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की गई थी।

1.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

रिपोर्ट के अध्याय-2 में शामिल किए गए नियमन के लिए अपेक्षित प्रावधान पर आधिक्य पर पैरा तथा अध्याय-3 में शामिल हानियां एवं डीफाल्केशनज पर पैरा को छोड़कर राज्य के वित्तों पर प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति में चर्चा नहीं की जा रही है।

1.13 निष्कर्ष

भारत सरकार से सहायतानुदान में 76 प्रतिशत वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष से 2013-14 के दौरान 13 प्रतिशत तक बढ़ गई। 2013-14 के लिए कर-राजस्व ते.वि.आ. द्वारा नियत लक्ष्यों के 9.01 प्रतिशत तक कम तथा कर-भिन्न राजस्व 70 प्रतिशत तक कम पड़ गया। भारत सरकार ने वर्ष के दौरान राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 2,308.06 करोड़ सीधे हस्तांतरित किए जो राज्य के बजट तथा वित्त लेखाओं में शामिल नहीं किए गए थे। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 929.53 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां 2011-13 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।

वर्ष के दौरान कुल व्यय में से 90 प्रतिशत राजस्व व्यय था। इसका गै.यो.रा.व्य. घटक, ₹ 31,735 करोड़ था, जो ते.वि.आ. (₹ 22,138 करोड़) के प्रक्षेपण से 43 प्रतिशत अधिक था जिसमें से 87 प्रतिशत व्यय चार संघटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियां, पैंशन देयताएं, ब्याज भुगतान और सबसीडियों पर किया गया। इसके अतिरिक्त, कुल सबसीडियों (₹ 5,681 करोड़) का 92 प्रतिशत (₹ 5,206 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिया गया। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न पिछले पांच वर्षों में 0.02 से 0.17 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि सरकार ने अपने उधारों पर 9.22 से 9.86 प्रतिशत तक का औसत ब्याज भुगतान किया। 2013-14 के दौरान निवेशों का मुख्य हिस्सा (72 प्रतिशत) विभिन्न विद्युत निगमों के साम्या शेयरों में निवेश के रूप में किया गया।

राजस्व घाटा जो 2011-12 के दौरान शून्य तक लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान थोड़ा कम हुआ। राजकोषीय मानकों अर्थात राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों में प्रवृत्तियां 2012-13 में क्रमश: ₹ 4,438 करोड़, ₹ 10,362 करोड़ और ₹ 5,618 करोड़ रही, 2013-14 में क्रमश: ₹ 3,875 करोड़, ₹ 8,314 करोड़ और ₹ 2,464 करोड़ तक घट गई।

1.14 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

(i) ते.वि.आ. की सिफारिशों के अनुसार राजस्व घाटा शून्य तक लाने तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपाय आरंभ करना।

(ii) राज्य की समेकित निधि में सभी राजस्व प्राप्तियों को जमा करना तथा राज्य विधान सभा की स्वीकृति के बाद व्यय करना।

(iii) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो भारी हानियां उठा रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा करना, अनुकूल नीति बनाना तथा उनके पुनरूद्धार के लिए इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।